Reserved

Court No. - 17

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 2315 of 2024

Applicant :- Dr. Narbadeshwar Pandey
Opposite Party :- Smt. Pratima Goel, Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University Ayodhya And Others
Counsel for Applicant :- Sharad Pathak
Counsel for Opposite Party :- Akhilesh Kumar Srivastava,Pt. S. Chandra

Hon'ble Rajeev Singh,J.

1. Heard Sri Sharad Pathak, learned counsel for the applicant and Sri Akhilesh Kumar Srivastava, learned counsel for the respondent.

2. The present contempt application is filed with the prayer to summon opposite party for willful, deliberate and intentional disobedience of order dated 21.2.2024 passed in Writ A No.1179 *'Dr. Narbadeshwar Pandey Vs. State of U.P. & Ors.'*.

3. Learned counsel for the applicant submits that applicant as well as respondent no.3 were appointed as Faculty Assistant Professor and both reported their joining on 27.7.1988. He also submits that there was a controversy related to the seniority in between the applicant as well as respondent no.3, same was referred by the College to Secretary, U.P. Higher Education Services Commission, U.P. vide its letter dated 24.6.1994 and thereafter, Secretary, Higher Education Commission informed vide letter dated 8.7.1994 that as per merit, applicant is senior to the respondent no.3. Thereafter, seniority list of the faculty members was prepared, same was issued, in which, applicant was above the respondent no.3. Learned counsel for the applicant also drew attention of the court towards seniority list of the faculty dated 30.6.2001 issued by the Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad, in which, name of the applicant is at Sr. No.25 and respondent no.3 is placed at Sr. No.26, thereafter, another seniority list dated 9.3.2017 was issued related to the faculty members after including newly

appointed faculty members, in which, name of the applicant is found place at Sr. No.7 and respondent no.3 at Sr. No.8.

4. Learned counsel for the applicant submits that seniority of the applicant and respondent no.3 was undisputed, thereafter, an order was issued on 29.6.2020 by the Secretary of the Committee of Management of the college in question by appointing the applicant as officiating member on the basis of meeting of Committee of Management dated 27.6.2020 considering the provisions of Section 11.20 of the statute of the University and the information was also given to the Director, U.P. Higher Education Services Commission and charge was also handed over to the applicant by Dr. Ajay Mohan Srivastava, Principal on 30.6.2020. He further submits that respondent no.3. moved representation dated 21.7.2020 before the Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohia University, Ayodhya with a prayer that applicant did not have the eligibility for the appointment of Principal, therefore, eligibility of the applicant be scrutinized and appropriate order be passed for appointment of the senior most eligible person as Officiating Principle. He further submits that report was asked by Vice Chancellor from the Director, I.Q.A.C., in which, A.P.I. of the applicant was shown 109 & A.P.I. of respondent no.3 was shown 252.5 without examining the correct facts, thereafter, the representation of the respondent no.3 was decided by the then Vice Chancellor, Professor, Ravi Shanker Singh vide order 2.1.2021 with the observation that applicant is not eligible for the post of Principle as having less A.P.I., thereafter, respondent no.3 was allowed to work as officiating Principal. He further submits that order dated 2.1.2021 was challenged before the Chancellor and same was allowed on 9.6.2021 by setting aside the order dated 2.1.2021 passed by Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad with a direction to the Vice Chancellor to decide the representation of the respondent no.3 afresh and till the decision, the officiating Principal will be allowed to work only performing day to day work and no policy decision will be taken by him, as a result, fresh order was passed by Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad dated 26.10.2021 with the observation that applicant is a senior most faculty but his A.P.I. is scored 110 and finding was given that no points will be given

to him for J.R.F. and the respondent no.3 was allowed to work as officiating Principle till the joining of regular Principal.

5. Learned counsel for the applicant submits that order dated 26.10.2021 and its consequential order dated 18.12.2021 was challenged before the Chancellor and the learned Chancellor again set aside the order dated 26.12.2021 & 18.12.2021 and referred the matter to seniority committee for deciding the issue of seniority as well as I.Q.A.C. & A.P.I. and also ensure that after examining all these things, senior most faculty member will be allowed to resume the charge of officiating Principal. Thereafter, respondent no.1 passed an order dated 19.5.2023 in place of ensuring the compliance of order passed by the Chancellor dated 17.11.2022, directing the University to decide the seniority of the applicant as well as I.Q.A.C. & A.P.I. of the parties. The said order was challenged before this Court in Writ A No.1179 of 2024, which was disposed of on 21.2.2024 directing the Vice Chancellor to consider and decide the representation/appeal of the applicant dated 12.12.2023 in terms of statute 15.05 and it was also directed to consider and decide the appeal in accordance with the law within a period of six weeks from the date a certified copy of this order is produced before the said authority and after affording opportunity of hearing to applicant as well as respondent no.3.

6. Learned counsel for the applicant submits that as the order of the writ court is not complied with by the respondent no.1, therefore, present contempt application was filed and notice was issued to the respondents on 31.5.2024, thereafter, affidavit of compliance was filed but same was rejected on 12.8.2024.

7. Order dated 12.8.2024 passed by this Court is as under:-

> *"1. Affidavit of compliance has been filed by learned counsel for the respondents duly sworn in by respondent no.1- Smt. Pratima Goel, Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University Ayodhya, which is taken on record. He submits that in pursuance of direction of Writ Court, appeal has already been decided on merit vide order dated 12.08.2024 and the matter is remanded back to the competent authority with the direction to decide the controversy in question.*
>
> *2. As it is evident from the order passed by the Writ Court that there was a direction to the Vice- Chancellor concerned*

> *to decide the appeal on merit but in place of deciding the appeal, the same has been remanded back to the competent authority, therefore, the order dated 12.08.2024 passed by the respondent no.1 is not in consonance with the direction of Writ Court. Accordingly, the affidavit of compliance filed today is hereby rejected.*
>
> *3. List this case on 28.08.2024 at 11:30 AM.*
>
> *4. On the next date, complete record related to the decision of respondent no.1 be placed before this Court.*
>
> *5. In the meantime, respondent no.1 is directed to revisit her order dated 12.08.2024 and pass a fresh order in pursuance of the direction of Writ Court, failing which, she shall appear in person before this Court on the next date."*

8. Learned counsel for the applicant submits that first affidavit of compliance is rejected on 12.8.2024 on the ground that in place of deciding the matter, respondent No.1 remanded to the college in question, which was being headed by respondent no.3 who was officiating Principal, liberty was given to file fresh affidavit, then she again passed an order on 24.8.2024 by modifying the order dated 17.10.2023 related to the seniority of the applicant, in which, it is held that their seniority would be intact in pursuance of their appointment and the applicant is declared as senior to the respondent no.3 with the observation that applicant may approach to the Director, Higher Education Service Commission for ventilating other grievance. He also submits that applicant was appointed as officiating Principal by the Committee of Management dated 29.6.2020 in pursuance of resolution dated 27.6.2020 and the said resolution is still intact but under the order of Vice Chancellor dated 2.1.2021 he was removed from the post of officiating Principal and respondent no.3 is appointed as officiating Principal.

9. Learned counsel for the applicant submits that Thereafter, again affidavit of compliance was filed by the respondent no.1 on 27.8.2024 by allowing the appeal and treating the applicant as senior and officiating Principal was directed to meet out rest of the controversy, i.e., I.Q.A.C. & A.P.I. Learned counsel for the applicant submits that as the direction was issued by this Court to decide the appeal, in which, all these points were to be decided, therefore, respondent no.1 is deliberately committing the contempt for not complying the order passed by the writ

court in letter and spirit, therefore, charge may be framed against him.

10. Sri Akhilesh Srivastava, learned counsel for the respondent submits that appeal of the applicant has already been allowed related to the seniority and rest of the issue has been remitted to the Principal for adjudicating the same but he does not dispute this fact that controversy was arisen from the representation of the respondent no.3 and he is a party in the dispute.

11. Considering the submissions of learned counsel for the parties, going through the contents of the record, it is evident from the record that there was no dispute in the seniority of the applicant as well as respondent no.3 from 1994 upto 2020 but after the appointment of applicant as officiating Principal by the Committee of Management, representation dated 21.7.2020 was moved by the respondent no.3 before the Vice Chancellor, which was entertained on 2.1.2021.

12. Scanned copy of the representation dated 21.7.2020 is as under:-

Registrar Reg 13.9.2020 कुलपति

154

सेवा में

मा0 कुलपति महोदय,
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या।

विषय:– का0सु0साकेत पी0 जी0 कालेज अयोध्या के कार्यवाहक प्राचार्य पद पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन द्वारा प्राचार्य पद हेतु निर्धारित अर्हताधारी वरिष्ठ प्राध्यापक को ही नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि का0सु0साकेत पी0जी0 कालेज अयोध्या में कार्यवाहक प्राचार्य डॉ0 अजय मोहन श्रीवास्तव दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति ने विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली की धारा–11.20 के अर्न्तगत डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय एसो0प्रो0 रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग को तीन माह के लिए कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी का निम्नलिखित कथन सादर निवेदित है।

1. प्रार्थी, डॉ0 अभय कुमार सिंह एसो0 प्रोफेसर रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग इस महाविद्यालय में उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होने के उपरान्त नियुक्त होकर दिनांक 27.07.1988 को महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर अद्यतन कार्यरत है। प्रार्थी के साथ ही डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने भी रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग में उसी तिथि दिनांक 27.07.1988 को कार्यभार ग्रहण किया है। वर्तमान में वरिष्ठता विवरण निम्नवत है–

महाविद्यालय में ज्येष्ठता क्रमांक	नाम एवं विभाग	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि
1	डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग	27.07.1988	01.10.1965
2	डॉ0 अभय कुमार सिंह रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग	27.07.1988	02.10.1962

2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की निर्गत वरिष्ठता सूची दिनांक 12 जून 1998 में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली की धारा 15.02 (2) के अर्न्तगत आयु में ज्येष्ठता के आधार पर प्रार्थी का नाम डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के ठीक ऊपर था किन्तु महाविद्यालय की शिक्षको की निर्गत वरिष्ठता सूची दिनांक 14 मई 2010 में विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 15.04 (1) के अर्न्तगत आयोग की चयन सूची के आधार पर प्रार्थी का नाम डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय से ठीक नीचे अंकित हुआ। उक्त दोनो वरिष्ठता सूची संलग्न है। **संलग्नक– 01 एवं 02**

158

3. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन 2010 को लागू एवं प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर 2010 एवं 03 दिसम्बर 2013 द्वारा समस्त कुलसचिव को निदेर्शित किया गया कि वे अपने विश्वविद्यालय की परिनियमावली में यथास्थान संशोधन सुनिष्चित कर ले, शासनादेश की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–03)**। यू0जी0सी0 नियमन 2010 की धारा 4.2.0 के अनुसार महाविद्यालय प्राचार्य पद हेतु **API-400** की अर्हता निर्धारित की गयी है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 अधिसूचना सं0–271 दिनांक 27 जुलाई 2018 द्वारा निर्गत किया गया है जिसके प्राविधान लागू करने हेतु शासनादेश दिनांक 28 जून 2019 जारी किया गया शासनादेश की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–04)**। वर्तमान विनियम द्वारा **API-120** की अर्हता निर्धारित की गयी है।

4. प्रार्थी का सम्पूर्ण शैक्षिक विवरण संलग्न है (संलग्नक–05)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2010 के अनुसार **प्रार्थी का API- 729.9** तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2018 के अनुसार **प्रार्थी का API- 558.5** है। जो प्राचार्य पद की अर्हतानुसार है। डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त होने के उपरान्त, जो बायोडाटा महाविद्यालय की अधिकृत बेबसाइट पर लोड किया है, जिसकी प्रति संलग्न है, (संलग्नक–06) के अनुसार **डॉ0 पाण्डेय प्रथम दृष्टया प्राचार्य पद की न्यूनतम निर्धारित अर्हता धारित नही करते है।**

5. सूच्य है कि महाविद्यालय प्रबन्धसमिति के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय अवैतनिक सचिव से प्रार्थी ने इस आशय का निवेदन किया था कि प्राचार्य पद की निर्धारित अर्हताधारित वरिष्ठ प्राध्यापक को ही कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त करने की कृपा करें।

6. माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न निर्णयो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्राचार्य पद की निर्धारित न्यूनतम अर्हताधारी वरिष्ठ प्राध्यापक ही कार्यवाहक प्राचार्य हेतु अर्ह होगा।

(i) **2008 (1) ADJ 696 पारसनाथ चौबे बनाम उ0प्र0शासन एवं अन्य** में पारित आदेश दिनांक 04.01.2008 (प्रति संलग्न है, **संलग्नक–07**) का मुख्य अंश:

पैरा 17. ***"In view of the aforesaid statutory provision, we have no hesitation to record that no person can be appointed on the post of Principal in an affiliated degree college, unless he is possessed of the prescribed minimum qualification on the post in question, The appointment may be officiating / adhoc or regular possession of the minimum essential qualification for the post prescribed by statutes is a condition precedent for any valid appointment. It is immaterial that appointment is regular or officiating as contemplated by Statute 10.20. A person not possessed of the prescribed minimum essential qualification cannot be appointed on the post of principal in any capacity whatsoever."***

(ii) **याचिका संख्या–52520/2011 प्रेमनाथ सिंह बनाम कुलपति एवं अन्य** में पारित आदेष दिनांक 10.01.2012 (प्रति संलग्न है, **संलग्नक–08**) का मुख्य अंश:

157

पेज 6 एवं 7...*In this case there is no dispute regarding seniority between petitioner and respondent no.5. It is admitted that the respondent no. 5 is senior to the petitioner, The question, which was raised and was required to be considered by the Vice Chancellor was as to whether the respondent no.5 holds the essential qualification for being appointed as Officiating Principal, which are the same qualification required for appointment of permanent Principal under Statute 14.14(2) of the first Statute of the University.*

On the admitted position, and in view of the legal position settled in Paras Nath Chaubey's case (Supra), the respondent no.5 could not be appointed as Offiçting Principal of the college. The Administrator of the college ignored the provisions of First Statue of the University and the law declared by this Court in Paras Nath Chaubey, which is binding upon him. The Vice Chancellor also did not appreciate the issues raised and referred the matter, as if the question of seniority is involved in appointment to the post of Officiating Principal"——

(iii) याचिका संख्या–35140 नंदिनी उपाध्याय बनाम उ0प्र0षासन एवं अन्य में पारित आदेष दिनांक 15.12.2015 (प्रति संलग्न है, संलग्नक–09) का मुख्य अंश:

पेज 13 "——*On its face value Statute 13.20 does talk of handing over of charge of Principal to the senior most teacher but by means of judicial pronouncements, consistent view of this Court has been that mere seniority is not good enough and in such a situation and in this background along with seniority an incumbent has to have to his/her credit eligibility also*——"

पेज 14 "——*At no point of time before Full Bench of this Court, There has been any issue that the officiating Principal should only be the senior most teacher even though he is not at all eligible. The Full Bench judgment of this Court has to be understood in the factual matrix involved therein. The consistent view of this Court that even a senior most teacher who desires and who is appointed as a Principal of the Institution, has to have to his credit requisite minimum eligibility criteria.*——"

पेज 15 "----*It may be true that officer of the officiating Principal is an interim arrangement till regularly selected candidate recommended by U.P. Higher Education Service Commission joins, but even in the matter of interim arrangement, if eligible person are available, then the eligibility has to be looked into concerned, in case, no one is eligible to hold the office of Principal on the ground of eligibility, then by invoking the doctrine of necessity, the senior most incumbent through prima facie ineligible can be handed over the charge.*——"

(iv) याचिका–ए संख्या–63424/2015 प्रो0 मदनमोहन राजपूत बनाम उ0प्र0षासन एवं अन्य में पारित आदेष दिनांक 05.02.2016 (प्रति संलग्न है, संलग्नक–10) का मुख्य अंश:

150

पैरा 15– *"We have occasion to peruse the aforesaid Government Order and this much is reflected the UGC Regulation 2010 stands adopted by the State Government and bare perusal of the Government Order dated 31.12.2010 would go to show that as far as teachers and other non-teaching staff are concerned, qua then the UGC Regulation 2010 has to be adhered to and same is the language that has been so used in the letter dated 3.10.2010. We have also perused the details regarding minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System(PBAS) as set out in this Regulation in Appendix-III for direct recruitment of Professor in Colleges."*

7. कार्यवाहक प्राचार्य को प्राचार्य पद की निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थी को संज्ञानित निम्न **दो प्रकरणो में माननीय कुलाधिपति/माननीय राज्यपाल महोदय** ने स्पष्ट आदेष प्रदान किया है कि अर्हताधारी वरिष्ठ प्राध्यापक को ही कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया जाना विधि सम्मत है:

(i) **डी0सी0एस0 खण्डेलवाल स्ना0महाविद्यालय मऊनाथ भंजन मऊ के डॉ0 अरविन्द कुमार मिश्र कार्यवाहक प्राचार्य के प्रकरण** में पत्रांक ई–6225/जी0एस0 दिनांक 18.07.2017 द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय ने यह आदेश प्रदान किया (प्रति संलग्न है, **संलग्नक–11**)।

"पैरा–4.........इस प्राकर पश्चात्वर्ती परिनियमावली संशोधन के अनुसार न्यूनतम 400ए0पी0आई0 सम्बन्धी अर्हता न होने के वावजूद मात्र परिनियम 10.20 के अनुपालन में विपक्षी का कार्यवाहक प्राचार्य के पर अनुमोदन किया जाना विधि सम्मत नही है क्योकि उक्त पद हेतु विहित अर्हता किसी भी दशा में शिथिल किये जाने की शक्ति कुलपति को प्राप्त नही है। इस प्रकार कुलपति द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.03.2017 विधि की दृष्टि में वैध आदेश नही है।"

(ii) श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चण्डेष्वर आजमगढ़ के डॉ0 फूलचन्द्र सिंह के प्रकरण में पत्रांक ई–4070/जी0एस0 दिनांक 13 जून 2019 द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय ने यह महत्वपूर्ण आदेष प्रदान किया (प्रति संलग्न है, **संलग्नक–12**)।

"पैरा–4.......माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका रिट ए सं0 63424 आफ 2015 प्रो0 मदन मोहन राजपूत बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं 5 अन्य में पारित निर्णयज विधि के अनुसार कार्यवाहक प्राचार्य की योग्यता वही होनी चाहिए जो नियमित प्राचार्य की होती है ...."

"पैरा–5.......महाविद्यालय के ज्येष्ठतम शिक्षक , जो प्राचार्य पद की योग्यता भी रखता हो, को महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य पद का कार्यभार प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक आदेश अविलम्ब पारित करने हेतु कुलपति को निर्देशित किया जाता है ...."

8. ध्यातव्य है कि कार्यवाहक प्राचार्य की निर्धारित न्यूनतम अर्हता के समान प्रकरण में **प्रो0 रजनीकान्त पाण्डेय मा0 कुलपति सिद्धार्थ विष्वविद्यालय सिद्धार्थ नगर ने हीरालाल रामनिवास पी0जी0 कालेज खलीलाबाद संत कबीरनगर** के प्रकरण में पत्रांक 89/कुलपति/सि0वि0वि0/2017 दिनांक 24.06.2017 में पृष्ठ 18 पर यह महत्वपूर्ण आदेष प्रदान किया है (प्रति संलग्न है,**संलग्नक–13**) जिसका मुख्य अंश निम्नवत है

133

"महाविद्यालय के प्राचार्य के अर्हता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 के पैरा 4.2.0 एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 11.03.03 में दी गयी व्यवस्था तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में अवधारित विधिक व्यवस्थाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि महाविद्यालय में कोई शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमन,2010 के पैरा 4.2.0 एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 11.03.03 में निर्धारित प्राचार्य पद की अर्हता धारित करता है तो प्राचार्य के पद पर कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हताधारी शिक्षक ही वरिष्ठ शिक्षक के पूर्व नियुक्ति पाने का अधिकारी है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 के पैरा 4.2.0 एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 11.03.03 में निर्धारित प्राचार्य पद की अर्हता धारी शिक्षक नही होने की स्थिति में ही विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 13.20 के अनुसार वरिष्ठ शिक्षक को कार्यवाहक प्राचार्य पद पर नियुक्ति करने पर विचार किया जायेगा"। ✓

उपर्युक्त वर्णित माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों, माननीय कुलाधिपति के आदेशों एवं माननीय कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से स्पष्ट है कार्यवाहक प्राचार्य को ज्येष्ठता के साथ साथ प्राचार्य पद की निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करना ही विधिसम्मत/विधिक है। महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त करने हेतु विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली की धारा–11.20 के साथ साथ परिनियमावली की धारा–10.15 (अर्हता सम्बन्धी) एवं धारा–15.02/15.04(ज्येष्ठता सम्बन्धी) का भी समान रूप से समादर होना चाहिए तभी परिनियमावली में दी गई व्यवस्था की मूल भावना का पूर्ण सम्मान हो सकेगा।

अतः उपर्युक्त वर्णित दृष्टान्तों के आलोक में आपसे निवेदन है कि विश्वविद्यालय **की प्रथम परिनियमावली में वर्णित अर्हता (समय–समय पर यू0जी0सी0 द्वारा संशोधित एवं उ0प्र0 शासन द्वारा अंगीकृत) के आधार पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों के मध्य प्राचार्य पद की अर्हता का परीक्षण अपने स्तर पर करने के उपरान्त स्पष्ट आदेश प्रदान करने की महती कृपा करे** जिससे महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य पद हेतु अर्ह एवं वरिष्ठ प्राध्यापक नियुक्त हो सके।

सादर।

संलग्नकः– उक्तवत

प्रार्थी

दिनांकः 21st July 2020

(डॉ0 अभय कुमार सिंह)
एसोसिएट प्रोफेसर
रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग
का0सु0साकेत स्ना0महाविद्यालय
अयोध्या (उ0प्र0

13. Thereafter, order dated 2.1.2021 was passed by the then Vice Chancellor, which is as under:-

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या - २२४ ००१ (उ0प्र0) भारत

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA - 224 001 (U.P.) INDIA

आचार्य रवि शंकर सिंह
कुलपति
ssor Ravi Shanker Singh
Vice-Chancellor

Phone (Office) : 05278-246223
Fax (Office) : 05278-246330

पत्रांक: 95 /पीएस/2020
दिनांक: 02 जनवरी, 2021

डॉ0 अभय कुमार सिंह, एसो0 प्रोफेसर, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या के प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2020 का निस्तारण आदेश

डॉ0 अभय कुमार सिंह, एसो0 प्रोफेसर (रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन) का0 सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2020 तथा पूरक प्रत्यावेदन द्वारा डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, एसो0 प्रो0 रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन) की कार्यवाहक प्राचार्य पद पर की गयी नियुक्ति को अर्हता एवं ज्येष्ठता के आधार पर चुनौती देते हुए समविषयक प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, माननीय कुलाधिपति/श्री राज्यपाल के आदेशों तथा अन्य आदेशों के आलोक में अपने प्रत्यावेदन को निस्तारित करने का अनुरोध किया है।

का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालय है। डॉ0 अजय मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक प्राचार्य की दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी जिससे व्यथित होकर डॉ0 अभय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय में प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2020 प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.09.2020 की तिथि निर्धारित की गयी। प्रकरण पर विभिन्न तिथियों दिनांक 09.10.2020, दिनांक 16.10.2020 एवं दिनांक 06.11.2020 को सुनवाई की गयी जिसमें सम्बन्धित पक्षों को पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रकरण पर महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 की भी आख्या प्राप्त की गयी। सुनवाई की उपरोक्त तिथियों पर प्रत्यावेदक डॉ0 अभय कुमार सिंह एवं कार्यवाहक प्राचार्य डॉ0 . नर्वदेश्वर पाण्डेय उपस्थित हुए तथा अपने पक्ष के समर्थन मे लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत किये, उभय पक्षो ने अपने पक्ष में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

डॉ0 अभय कुमार सिंह का पक्ष :-

डॉ0 अभय कुमार सिंह ने दिनांक 9.10.2020, 16.10.2020 एवं 06.11.2020 को सुनवाई हेतु विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर लिखित/मौखिक पक्ष प्रस्तुत किया जिसका मुख्य अंश/सार निम्नवत है:-

1. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या- 10 के माध्यम से चयनित होकर डॉ0 अभय कुमार सिंह और डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने दिनांक 27.07.1988 को का0 सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या में योगदान देकर अद्यतन कार्यरत है।

2. यू0 जी0 सी0 रेगुलेशन 2018 के अनुच्छेद 4.1-V में महाविद्यालय प्राचार्य पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते है। पी-एच0 डी0 उपाधि धारित करने, 15 वर्षो से अधिक शैक्षिक अनुभव के साथ सहआचार्य समकक्ष व्यक्ति समीक्षित एवं यू0जी0सी0 सूचीबद्ध जर्नल में 10 से अधिक अनुसंधान प्रकाशन एवं परिशिष्ट II

(33)

तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक के सापेक्ष 579.5 ए0पी0आई0 धारित करते है। महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 समन्वयक द्वारा प्रमाणित ए0पी0आई0 आगणन तालिका सविवरण संलग्न की गयी है।

3. डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय वांछित न्यूनतम ए0पी0आई0 धारित नहीं करते हैं जो महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर उनके द्वारा प्रदर्शित बायोडाटा के विवरण से स्पष्ट है। इस बायोडाटा को डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने गतिमान सुनवाई के दौरान वेबसाइट से हटवा दिया।

डॉ0 पाण्डेय ने उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 49 में प्राचार्य के चयन के लिए भी आवेदन किया था लेकिन आयोग को ए0पी0आई0 सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध न कराये जाने के कारण इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। इस तथ्य से भी डॉ0 पाण्डेय के प्राचार्य पद हेतु वांछित न्यूनतम ए0पी0आई0 धारित न करने की पुष्टि होती है।

4. डॉ0 सिंह के कथनानुसार विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा– 15.02(2) के अनुसार नियुक्ति से 10 वर्षों तक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय से वे ज्येष्ठ घोषित रहे। महाविद्यालय प्राचार्य ने दोनों की नियुक्ति के 10 वर्षों पश्चात विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 15.04(1) का स्वविवेक से अनुचित लाभ प्रदान करते हुए डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को डॉ0 सिंह से ज्येष्ठ घोषित कर दिया। तत्समय उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराये जाने का कथन किया है।

डॉ0 सिंह ने पक्ष व्यक्त किया कि डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली की धारा 1.03(ड0) के अनुसार परिनियमावली में प्रयुक्त अपरिभाषित शब्दावली का अर्थ उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा लिया जायेगा। परिनियमावली के परिनियम 15.04(1) में प्रयुक्त "चयन समिति" परिनियमावली में अपरिभाषित है किन्तु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में "चयन समिति" का अभिप्राय धारा– 31 महाविद्यालय में चयन हेतु गठित, चयन समिति से है न कि उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से है। अतः परिनियमावली के परिनियम 15.04(1) उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी के मामले में अप्रभावी है। तत्कालीन प्राचार्य ने स्वविवेक से परिनियमावली की धारा– 15 04(1) के प्रभाव में निस्तारित कर दिया। आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की दशा में चयन सूची की अधिमान्यता महाविद्यालय आवटंन तक ही प्रभावी रहती है। महाविद्यालय आवटंन के उपरान्त चयन सूची विच्छिन्न एवं निष्प्रभावी हो जाती है क्योंकि चयनित अभ्यर्थी पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न अशासकीय महाविद्यालयों में भिन्न–भिन्न नियोक्ता द्वारा नियुक्त होते हैं जिनकी सेवा को पारस्परिक तुलना के लिए समेकित करना सम्भव नहीं होता। इसीलिए एक ही महाविद्यालय में पदस्थापित अभ्यर्थियों की संस्तुति भी पृथक–पृथक की जाती है ताकि नियोक्ता द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के उपरान्त महाविद्यालय में योगदान प्रस्तुत करने की तिथि से सेवा में पारस्परिक तुलना की अवधारणा उत्पन्न हो सके।

5. प्रत्यावेदक का अभिकथन है कि वह महाविद्यालय के एक अनुशासनप्रिय एवं कर्तव्यपरायण शिक्षक है। महाविद्यालय के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता असंदिग्ध है। उनके विरुद्ध कभी भी कोई जांच या कार्यवाही न तो प्रचलित की गयी है न ही संस्थित की गयी है। उनके विरुद्ध प्रबन्ध तंत्र या प्राचार्य द्वारा न तो प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है न ही कभी स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है।

6. यह भी कथन है कि डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के विरुद्ध प्रो0 वाई0 आर0 त्रिपाठी, डॉ0 एच0 वी0 सिंह, डॉ0 वी0 एन0 अरोरा, डॉ0 प्रदीप खरे एवं डॉ0 अजय मोहन सभी पूर्व प्राचार्य ने दुराचरण, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, विभागीय सहयोगियों के साथ दुर्व्यवहार, महाविद्यालय के विरुद्ध वाद योजित करने आदि के आधार पर कार्यवाही प्रचलित की है एवं अनेक बार स्पष्टीकरण निर्गत किया जा चुका है। प्रबंध समिति एवं प्राचार्य की छवि धूमिल करने के आरोप में प्रबंध समिति भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही का संकल्प पारित कर चुकी है। डॉ0 अजय मोहन श्रीवास्तव ने प्राचार्य के आदेश की अवज्ञा, विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेइमानी करने के आरोप में डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को निलंबित किया था जिस पर

34

माननीय उच्च न्यायलय से स्थगनादेश प्राप्त कर महाविद्यालय में योगदान दे रहे हैं। उक्त से स्पष्ट है कि डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय कार्यवाहक प्राचार्य के गुरुतर दायित्व निर्वहन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

7. डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने वांछित ए0पी0आई0 पूरी न करने के कारण पहली सुनवाई 26.09.2020 को कोरोनाग्रस्त सहयोगी के निकट सम्पर्क का बहाना लेकर टलवा दिया। दूसरी सुनवाई की नियत तिथि 09.10.2020 के पूर्व 14 शोध पत्र 4 शोध पत्रिकाओं के विभिन्न अंकों में बैक डेट में प्रकाशित कर सुनवाई में फर्जी अभिलेखो पर आधारित ए0पी0आई0 स्कोर प्रस्तुत कर दिये।

8. डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा ए0पी0आई0 आगणन के लिए प्रस्तुत अभिलेखों के फर्जी होने से सम्बन्धित अनेक आपत्तियां, साक्ष्य सहित डॉ0 अभय कुमार सिंह ने प्रस्तुत किया तथा सुनवाई के दौरान प्राचार्य पद हेतु वांछित ए0पी0आई0 स्कोर पूरा करने के लिए डॉ0 पाण्डेय पर धोखाधडी करने का आरोप लगायी।

9. दिनांक 06.11.2020 को डॉ0 अभय कुमार सिंह ने डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय पर वांछित ए0पी0आई0 पूरा करने के लिए धोखाधडी करने का आरोप लगाया।

10. डॉ0 अभय कुमार सिंह ने अपने शोध पत्रों पर साहित्यिक चोरी करने के डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के आरोप का खण्डन करते हुए कहा कि प्रकाशित शोध पत्रों के कुछ अंशों को जिसका उचित सन्दर्भ भी दिया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा अनानुमोदित साफ्टवेयर से परीक्षण कर भ्रमित किया गया है।

डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय का पक्ष :- डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय दिनांक 09.10.2020 दिनांक 16.10.2020 एवं दिनांक 06.11.2020 को सुनवाई हेतु विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर लिखित/मौखिक अभिकथन प्रस्तुत किया जिसका मुख्य अंश/सार निम्नवत है।

1. प्राचार्य के 18.08.1994 के वरिष्ठता सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध प्रत्यावेदक डॉ0 अभय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 49 (ण) 15.05 के अनुसार विश्वविद्यालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं किया जिससे महाविद्यालय प्राचार्य का ज्येष्ठता सम्बन्धी निर्णय विधि स्थापित हो गया और डॉ0 अभय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय में अपील की अपनी अधिकारिता समाप्त कर ली । अब कोई प्रार्थना पत्र ज्येष्ठता निर्धारण के पुराने विवाद के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय में देना विश्वविद्यालय परिनियमावली 1978 के विरुद्ध है।

2. डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के अनुसार प्रत्यावेदक डॉ0 अभय कुमार सिंह को योग्यता एवं अर्हता के बारे में यू0जी0सी0 के नये विनियमो के परिप्रेक्ष्य में डॉ0 पाण्डेय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पहले प्राचार्य को ही निस्तारित करने के लिए देना चाहिए। प्राचार्य के निर्णय से असन्तुष्ट होने की दशा मे विश्वविद्यालय कुलपति के समक्ष धारा 49(ण) 15.05 के अन्तर्गत अपील करना चाहिए।

3. डॉ0 पाण्डेय के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमो की अनदेखी कर डॉ0 अभय कुमार सिंह के प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रक्रिया अपनायी जा रही है जिससे वे असहमत हैं।

4. डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि प्राचार्य पद के अर्हता सम्बन्धी समस्त प्राविधान (यू0जी0सी0 नियमन-2018) महाविद्यालयो मे आयोग द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिए किये गये है एवं ये कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति पर लागू नही होते है। इसके अतिरिक्त डॉ0 पाण्डेय ने विश्वविद्यालय परिनियमावली के अंश को प्राध्यापको की वरिष्ठता को उनकी नियुक्ति व सेवाकाल के आधार पर निर्धारण से सम्बन्धित बताया है।

5. डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा सुनवाई के समय अपनी ए0पी0आई0 स्वआगणित कर अभिलेखों के साथ 227 प्रस्तुत किया तथा ए0पी0आई0 महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा आगणित एवं सत्यापित करा कर 334 प्रस्तुत किया।

35

6. डॉ0 पाण्डेय ने प्रत्यावेदक डॉ0 अभय कुमार सिंह की ए0पी0आई0 के सम्बन्ध में प्रकाशित कुछ शोध पत्रों के अंशों पर प्लेगरिज्म की आपत्तियाँ प्रस्तुत की।

महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 का पक्ष :–

1. महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 ने प्रथमतः डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा दावा की गई ए0पी0आई0 को सत्यापन एवं आगणन की प्रक्रिया में परिमार्जित कर 227 से 334 कर दिया तथा डॉ0 अभय कुमार सिंह द्वारा दावा की गई ए0पी0आई0 को 579.5 से परिमार्जित कर 753 कर दिया।

2. प्रत्यावेदक डॉ0 अभय कुमार सिंह ने डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने जिन 14 शोध पत्रों पर बैक डेट में प्रकाशित कराने का आरोप लगाया था, उनमें से 2 शोध पत्रिकाओं के सम्पादकों जो महाविद्यालय के ही शिक्षक हैं, उनसे मूल प्रति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी लेकिन उन सम्पादकों/शिक्षकों ने मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराया।

3. विश्वविद्यालय के ए0पी0आई0 के सम्बन्ध में उभय पक्षों की शोधपत्र आदि की आपत्तियो पर नियमानुसार परीक्षण कर स्पष्ट आगणन भेजे जाने के निर्देश पर महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 ने डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय तथा डॉ0 अभय कुमार सिंह के अकादमिक योगदानों के विरुद्ध परस्पर आपत्तियों के प्रकाश में आरोपों का निराकरण कर ए0पी0आई0 पुनर्आगणित करने में व्यवहारिक समस्याओं के आधार पर असमर्थता व्यक्त कर दिया तथा विश्वविद्यालय को अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए सन्दर्भित किया।

प्रत्यावेदक तथा डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त अभिकथन तथा तथ्यों के सम्यक अनुशीलन के पश्चात् निम्न बिन्दु विचारणीय हैं –

<u>1. प्राचार्य पद की अर्हताएं :–</u> यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 अधिसूचना 271 दिनांक 18.07.2018 के अनुसार प्राचार्य पद हेतु निम्न अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं –

(i) पी–एच0 डी0 की उपाधि

(ii) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण/अनुसंधान की सेवा/अनुभव के साथ कोई आचार्य/सहआचार्य

(iii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन

(iv) परिशिष्ट II, तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक

यू0जी0सी0 द्वारा प्राचार्य पद हेतु निर्धारित उपर्युक्त अर्हता को उ0प्र0 शासन ने शासनादेश संख्या 600/सत्तर–2019–16(114)/2010 दिनांक 28.06.2019 द्वारा लागू/प्रभावी किया गया है।

<u>2. ए0 पी0 आई0 स्कोर का आगणन :–</u>

प्रत्यावेदक डॉ0 अभय कुमार सिंह एवं कार्यवाहक प्राचार्य डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा अपनी ए0पी0आई0 सत्यापित एवं आगणित करा कर क्रमशः 753 एवं 334 प्रस्तुत किया। डॉ0 अभय कुमार सिंह एवं डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने एक दूसरे के ए0पी0आई0 सम्बन्धित दावों पर कतिपय आपत्तियाँ साक्ष्य सहित प्रस्तुत की। दिनांक 16.10.2020 की सुनवाई में प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा ए0पी0आई0 आगणन की प्रक्रिया में शोध पत्रों की मौलिकता, शोध पत्रिकाओं की उपयुक्तता, यू0जी0सी0 मानकानुसार

36

प्रकाशन की विधिसम्मतता आदि का गम्भीरतापूर्वक अनुशीलन एवं परीक्षण नहीं किया गया। महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 से प्रत्यावेदक डॉ0 सिंह एवं डॉ0 पाण्डेय की ए0पी0आई0 को परस्पर आपत्तियों के आलोक में पुनर्आगणित एवं सत्यापित कर विस्तृत आख्या सहित विश्वविद्यालय को समयबद्ध प्रेषित करने की अपेक्षा की गई थी। महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 संयोजक तथा सदस्यों के प्राचार्य के प्रसादपर्यन्त पद पर रहने के तथ्य के कारण आपत्तियों का निराकरण कर ए0पी0आई0 को पुनर्आगणित एवं सत्यापित करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए ए0पी0आई0 आगणन के लिए विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 को संदर्भित कर दिया गया।

विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 ने उभय पक्षों की अपत्तियों के परीक्षणोपरान्त प्रत्यावेदक डॉ0 अभय कुमार सिंह एवं डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के अकादमिक योगदानों के प्रति ए0पी0आई0 यू0जी0सी0 विनियम–2018 के अनुसार आगणित कर उपलब्ध करायी है जिसका विवरण निम्नवत है।

नाम	स्वआगणित ए0पी0आई0	महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा आगणित ए0पी0आई0	विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा आगणित ए0पी0आई0
1. डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय	227	अन्तिम रूप से आगणित नहीं	109
2. डॉ0 अभय कुमार सिंह	579.5	अन्तिम रूप से आगणित नहीं	252.5

विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 के ए0पी0आई0 आगणन के अनुसार डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय परिनियम (यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018) में निर्धारित प्राचार्य हेतु न्यूनतम स्कोर (110) धारित नही करते है इसके साथ ही पीयर रिव्यूड जरनल में 10 शोध पत्र प्रकाशित नहीं है।

3. <u>कार्यवाहक प्राचार्य की अर्हताएं :–</u>

विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा– 11.20 में कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह प्राविधान किया गया कि महाविद्यालय का प्रबन्ध तंत्र किसी भी शिक्षक को तीन माह तक के लिए कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त कर सकता है परन्तु तीन माह के पश्चात् महाविद्यालय का ज्येष्ठतम शिक्षक ही कार्यवाहक प्राचार्य होगा जबतक कोई नियमित प्राचार्य कार्यभार ग्रहण नही कर लेता है।

माननीय उच्च न्यायालय ने पारसनाथ चौबे बनाम उत्तर प्रदेश शासन एवं 05 अन्य (2008 (1) ए0डी0जे0 696) वाद में पारित आदेश दिनांक 04.01.2008 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि प्राचार्य पद की निर्धारित न्यूनतम अर्हताधारी ज्येष्ठतम प्राध्यापक ही कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.01.2008 का प्रासंगिक एवं प्रभावी अंश निम्नवत है –

"……… no person can be appointed on the post of Principal in an affiliated degree college, unless he is possessed of the prescribed minimum qualification on the post in question, The appointment may be officiating / adhoc or regular possession of the minimum essential qualification for the post prescribed by statutes is a condition precedent for any valid appointment. It is immaterial that appointment is regular or officiating as contemplated by Statute 10.20. A person not possessed of the prescribed minimum essential qualification cannot be appointed on the post of principal in any capacity whatsoever."

"………a person not possessed of the prescribed qualification can be permitted to discharge the duties on the post of Principal of the institution, even if for a period of

37

three months. ....a lecturer of degree college not possessed of the prescribed minimum qualification as provided for under the statutory provisions of the first statutes of the University can not be appointed as officiating Principal under statute 10.20 of the first statute of the University."

याचिका संख्या–52520/2011 प्रेमनाथ सिंह बनाम कुलपति एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक दिनांक 10.01.2012 पारित किया गया है कि :

".....The question, which was raised and was required to be considered by the Vice Chancellor was as to whether the respondent no.5 holds the essential qualification for being appointed as Officiating Principal, which are the same qualification required for appointment of permanent Principal under Statute 14.14(2) of the first Stature of the University.

........in view of the legal position settled in Paras Nath Chaubey's case (Supra), the respondent no.5 (Senior most teacher not bearing requisite qualification to be appointed as Principal) could not be appointed as Officting Principal of the college. The Administrator of the college ignored the provisions of First Statue of the University and the law declared by this Court in Paras Nath Chaubey, which is binding upon him".

याचिका संख्या–35140 नंदिनी उपाध्याय बनाम उ0प्र0 शासन एव अन्य मे पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि

"-----by means of judicial pronouncements, consistent view of this Court has been that mere seniority is not good enough and in such a situation and in this background along with seniority an incumbent has to have to his/her credit eligibility also-----"

....

"-----It may be true that officer of the officiating Principal is an interim arrangement till regularly selected candidate recommended by U.P. Higher Education Service Commission joins, but even in the matter of interim arrangement, if eligible person are available, then the eligibility has to be looked into concerned, in case, no one is eligible to hold the office of Principal on the ground of eligibility, then by invoking the doctrine of necessity. the senior most incumbent through prima facie ineligible can be handed over the charge.-----"

याचिका संख्या–63424/2015 प्रो0 मदनमोहन राजपूत बनाम उ0प्र0 शासन एव 5 अन्य में पारित निर्णयज विधि के अनुसार कार्यवाहक प्राचार्य की योग्यता वही होनी चाहिए जो नियमित प्राचार्य की योग्यता होती है।

(38)

कार्यवाहक प्राचार्य पद की निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित समविषयक प्रकरणों में माननीय कुलाधिपति/श्री राज्यपाल ने आदेश प्रदान किया कि अर्हताधारी ज्येष्ठतम प्राध्यापक को ही कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया जाना विधिसम्मत है :–

(i) डी०सी०एस० खण्डेलवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय मऊनाथ भंजन मऊ के डॉ० अरविन्द कुमार मिश्र कार्यवाहक प्राचार्य के प्रकरण में पत्रांक ई–6225/जी०एस० दिनांक 18.07.2017 द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश का प्रासंगिक अंश–

"........इस प्रकार पश्चातवर्ती परिनियमावली संशोधन के अनुसार न्यूनतम 400ए०पी०आई० सम्बन्धी अर्हता न होने के वावजूद मात्र परिनियम 10.20 के अनुपालन में विपक्षी का कार्यवाहक प्राचार्य के पर अनुमोदन किया जाना विधिसम्मत नही है क्योकि उक्त पद हेतु विहित अर्हता किसी भी दशा में शिथिल किये जाने की शक्ति कुलपति को प्राप्त नही है। इस प्रकार कुलपति द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.03. 2017 विधि की दृष्टि में वैध आदेश नही है।"

(ii) श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चण्डेश्वर आजमगढ़ के डॉ० फूलचन्द सिंह के प्रकरण में पत्रांक ई–4070/जी०एस० दिनांक 13 जून 2019 द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश का प्रासंगिक अंश–

"......महाविद्यालय के ज्येष्ठतम शिक्षक, जो प्राचार्य पद की योग्यता भी रखता हो, को महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य पद का कार्यभार प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक आदेश अविलम्ब पारित करने हेतु कुलपति को निर्देशित किया जाता है ......"

महाविद्यालय के प्राचार्य के अर्हता के सम्बन्ध में यू०जी०सी० रेगुलेशन 2018 जो कि विश्वविद्यालय परिनियम में शासन के आदेश दिनांक 28.06.2019 द्वारा समाहित है, वर्तमान में एवं दिनांक 30.06.2020 से प्रभावी है, सपठित परिनियम 11.20 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में पारित निर्णयज विधि के आलोक में प्राचार्य अथवा कार्यवाहक प्राचार्य पद की अर्हता एवं धारिता का निर्धारण विधि सम्मत एवं नियमानुकूल है। विश्वविद्यालय परिनियम 10.16, नवस्थापित परिनियम, परिनियम 11.20 एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों में स्थापित व्यवस्था के अनुशीलन से स्पष्ट है कि कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु प्राचार्य पद हेतु अर्हताधारी ज्येष्ठतम शिक्षक ही नियुक्ति पाने का अधिकारी है।

ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में प्रत्यावेदक एवं प्रतिपक्षी द्वारा परिनियम एवं आयोग से चयन सम्बन्धी व्यवस्था के दृष्टिगत पक्ष प्रस्तुत किये गये। डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 1978 की धारा 1.03(ड़) में उल्लेख है कि "ऐसे शब्दों तथा पदों के जो इस परिनियमावली में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है वही अर्थ होगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।"

विश्वविद्यालय की परिनियमावली में "चयन समिति" शब्द प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है। अतः परिनियमावली की धारा 1.03(ड०) के अनुसार चयन समिति का अभिप्राय उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31–3(d) में वर्णित चयन समिति से है न कि उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के अतर्गत गठित चयन समिति/चयन सूची से है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 1978 उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के गठन के पूर्व प्रभावी थी। उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के गठन के पूर्व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन/नियुक्ति हेतु उ०प्र० विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31–3(d) लागू था। अतः विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 15.04(1) उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित/नियुक्त शिक्षकों पर लागू न होकर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31–3(d) के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षको पर प्रभाविता परिलक्षित होती है। प्रतिपक्षी डॉ० पाण्डेय द्वारा प्रत्यावेदक के परिनियम में निहित व्यवस्था की समय सीमा में सक्षम स्तर पर अपील न किये जाने तथा वर्तमान में अपील

कर्ई देवदत्त पाण्डेय

(39)

कालातीत का उल्लेख किया गया है। ज्येष्ठता सम्बन्धी प्रकरण के विभिन्न तथ्यों पर विचार कर प्रकरण का विनिश्चयन नियमानुसार विश्वविद्यालय की वरिष्ठता निर्धारण समिति को सन्दर्भित किया जाना नियम संगत है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों, डॉ0 अभय कुमार सिंह, डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत अभिकथनों, अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों, साक्ष्यों, उपर्युक्त वर्णित विधिक व्यवस्थाओं (माननीय कुलाधिपति एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों) यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 तथा डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परिनियमावली में सुसंगत धाराओं में दी गई व्यवस्था के आलोक में डॉ0 अभय कुमार सिंह प्राचार्य पद की न्यूनतम अर्हता धारित करते हैं तथा प्राचार्य पद हेतु नियमानुसार अर्हताधारी वरिष्ठतम प्राध्यापक है। डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय प्राचार्य पद की न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करते हैं।

अतः प्रकरण के सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यों परिनियमों एवं अभिलेखों के सम्यक अनुशीलन से प्राप्त उपरोक्त निष्कर्ष के दृष्टिगत डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की प्रथम परिनियमावली की धारा–11.20, सपठित संशोधित परिनियम (यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018, शासन के आदेश दिनांक 28.06.2019 के माध्यम से प्रथम परिनियमावली में सम्मिलित) में निहित व्यवस्था के क्रम में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने तक कार्यवाहक प्राचार्य पद पर उपरोक्तानुसार अर्हताधारी वरिष्ठ शिक्षक की नियुक्ति हेतु सचिव, प्रबन्ध समिति को निर्देशित किया जाता है।

एतद्द्वारा प्रकरण निस्तारित किया जाता है।

कुलपति

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अध्यक्ष / अवैतनिक सचिव, प्रबन्ध समिति, का0 सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
2. डॉ0 अभय कुमार सिंह, एसो0 प्रो0, का0 सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
3. डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, एसो0 प्रो0, का0 सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, स्मृति उपवन, सेक्टर एम–आशियाना, लखनऊ मण्डल, लखनऊ
5. पत्रावली।

कुलसचिव

11.30 A.M

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

ई– 3584 /जी0एस0

Date : ....09.... जून 2021

वार्ता किया इस प्रकरण पर विधिक राय लिया जाना उचित होगा। कृपया आदेशार्थ मा० कुलपति जी
Sh. Prashant Tripathi Adv. Allahabad High Court Bench Lucknow 18.6.021
Rssingh 20/6/021

171
23/6/21

आदेश

1. डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, रीडर, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन विभाग (सैन्य विज्ञान), का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 17.02.2021 के माध्यम से डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के आदेश दिनांक 02.01.2021 जिससे उनके पास कार्यवाहक प्राचार्य पद पर नियुक्त किये जाने हेतु नियमानुसार अर्हतायें न होने के दृष्टिगत, इसी महाविद्यालय के डा0 अभय कुमार सिंह की कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया है, को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

A.O. Affi.

उपर्युक्त प्रत्यावेदन दिनांक 17.02.2021 एवं पूरक प्रत्यावेदन दिनांक 17.02.2021, विपक्षीगण– महाविद्यालय के अवैतनिक मंत्री की आख्या दिनांक 15.03.2021, डा0 अभय कुमार सिंह, सह आचार्य की आख्या दिनांक 26.03.2021 एवं विश्वविद्यालय की आख्या दिनांक 27.03.2021 तथा डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 15.04.2021 के आधार पर प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नवत् हैं –

737
21/06/2021
3039
21.06.21

2. प्रत्यावेदक ने प्रत्यावेदन एवं पूरक प्रत्यावेदन में अवगत कराया है कि का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या में नियुक्ति पत्र दिनांक 07.07.1988 के अनुकम में उन्होंने दिनांक 27.07.1988 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण किया तथा निर्गत पत्र दिनांक 28.11.1989 के अनुसार दिनांक 27.07.1989 से परिवीक्षाकाल पूरा कर स्थाई हुए। प्रत्यावेदक को रीडर पदनाम की प्रास्थिति दिनांक 27.07.1998 से आदेश दिनांक 27.08.2002 द्वारा प्राप्त हुई। प्रत्यावेदक को कम संख्या 11, जबकि डा0 अभय कुमार सिंह को कम संख्या 12 पर प्रदर्शित किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30.06.2001 को निर्गत की गयी विभागवार वरिष्ठता सूची के परिशीलन से ज्ञात होता है कि सैन्य विज्ञान विभाग की सूची में प्रत्यावेदक का नाम कम संख्या 25, जबकि डा0 अभय कुमार सिंह का नाम कम संख्या 26 पर अंकित था। महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों की पुनः जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 14.05.2010 में

14. The aforesaid order of the Vice Chancellor was challenged before the Chancellor, which was allowed on 9.6.2021, which is as under:-

कुलाधिपति
ॉं. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001
CHANCELLOR
R. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

U115

Date : ....

प्रत्यावेदक वरिष्ठता क्रमांक 32 पर जबकि डा0 अभय कुमार सिंह का नाम क्रमांक 33 पर तथा इसी प्रकार, प्राचार्य द्वारा जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 09.03.2017 में डा0 अभय कुमार सिंह क्रम संख्या 8 पर जबकि प्रत्यावेदक का नाम क्रम संख्या 7 पर रहा है। प्रत्यावेदक को वरिष्ठतम प्राध्यापक होने के कारण महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रत्यावेदक ने नेट परीक्षा वर्ष 1986 में उत्तीर्ण की थी तथा 'कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति' प्रमाण पत्र दिनांक 11.02.1999 को प्राप्त किया था।

महाविद्यालय के प्राचार्य ने पत्र दिनांक 24.06.1994 के माध्यम से सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित सूची में मेरिट लिस्ट द्वारा वरिष्ठता विवाद निर्धारण करने के लिए चयन की वरीयता क्रम से अवगत कराने की अपेक्षा किया था। उसके आलोक में आयोग के सचिव के पत्र दिनांक 08.07.1994 द्वारा प्राचार्य को अवगत कराया गया कि चयन सूची में डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय का नाम योग्यता एवं वरिष्ठता के क्रम में क्रमांक 2 पर है जबकि डा0 अभय कुमार सिंह का नाम क्रमांक 3 पर है। रीडर पदनाम की स्कीनिंग के सम्बन्ध में शासन के आदेश दिनांक 03.05.2001 के अनुसार प्रत्यावेदक का स्थान क्रमांक 1, जबकि डा0 अभय कुमार सिंह का स्थान क्रमांक 2 पर था। तत्कालीन प्राचार्य के अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर प्रत्यावेदक को संस्था का वरिष्ठतम प्राध्यापक होने के कारण महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया तथा प्रत्यावेदक ने दिनांक 01.07.2020 को कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यावेदक की प्राचार्य पद पर नियुक्ति डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की प्रथम परिनियमावली 1978 की धारा 37 व 49 (ण) की अनुरूपता में की गयी थी। डा0 अभय कुमार सिंह ने दिनांक 21.07.2020 के पत्र द्वारा कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के समक्ष वरिष्ठता के संदर्भ में एक वाद संस्थित किया। प्रकरण में कुलपति ने अपने पत्र दिनांक 22.09.2020 द्वारा प्रत्यावेदक को दिनांक 26.09.2020 को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। कुलपति के इस पत्र दिनांक 22.09.2020 के प्रति–उत्तर में प्रत्यावेदक ने पत्र दिनांक 25.09.2020 द्वारा कुलपति से इस प्रकिया के स्थगन का इस कारण अनुरोध किया कि कोविड–19 की संक्रामकता व गहन सम्पर्क

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

५४

Date : ....

में आ जाने के कारण चिकित्सक ने प्रत्यावेदक को न्यूनतम 14 दिनों की अवधि के लिए पृथकवास का सुझाव दिया था। विश्वविद्यालय कुलपति ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2020 द्वारा वरिष्ठता की सुनवाई के लिए पुनः 09.10.2020 की तिथि इस तथ्य के बावजूद निश्चित की कि प्रत्यावेदक को चिकित्सकों द्वारा कोविड–19 महामारी की संक्रामकता के कारण पृथकवास का परामर्श दिया गया है। पत्र दिनांक 07.10.2020 के क्रम में प्रत्यावेदक ने वरिष्ठता के संदर्भ में डा0 अभय कुमार सिंह द्वारा की गयी शिकायतों का विस्तृत उत्तर, पत्र दिनांक 08.10.2020 के द्वारा कुलपति को दिया किन्तु कुलपति ने इस पत्र दिनांक 08.10.2020 पर विचार किये बिना अन्तिम सुनवाई की तिथि दिनांक 16.10.2020 को निर्धारित कर दी। कुलपति ने सुनवाई की कार्यवाहियों के संदर्भ में कोई भी नोटिंग व सूचना प्रत्यावेदक को लिखित रूप से नहीं दी। प्रत्यावेदक को वरिष्ठता के प्रकरण में सुनवाई की अंतिम तिथि की सूचना दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान व दैनिक जागरण से प्राप्त हुई।

डा0 अभय कुमार सिंह शासनादेश दिनांक 03.05.2001 के अन्तर्गत प्राचार्य बनने की योग्यता पूरी नहीं करते, जोकि शासनादेश के निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट है:–

i- **For Lecturer to Lecturer (Senior Scale) one orientation course would be compulsory for University and College teachers. Those without Ph.D. would be required to do one refresher course in addition.**

ii- **Two refresher course for Lecturer (Senior Scale) to Lecturer (Selection Grade).**

iii- **The Senior teachers like Lecturers (Senior Scale) and Readers may not opt to attend two seminars/conferences in their subject areas and present papers as one aspect of their promotion/selection to higher level or attend refresher courses to be offered by Academic staff colleges for this level.**

डा0 अभय कुमार सिंह उपर्युक्त नियमों को पूरा नहीं करते क्योंकि उन्होंने निर्धारित दो रिफ्रेशर कोर्स को नियमानुसार पूर्ण नहीं किया है। इनका प्रथम रिफ्रेशर कोर्स प्रवक्ता से वरिष्ठ प्रवक्ता पदनाम प्राप्त करने के दौरान दिनांक 20.11.1993 से

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

413

Date : ....

17.12.1993 के बीच किया है। उसके बाद वरिष्ठ प्रवक्ता पदनाम (रीडर) से सेलेक्शन ग्रेड (रीडर पदनाम) प्राप्त करने के लिए दो रिफ्रेशर कोर्स अनिवार्य था जबकि डा0 अभय कुमार सिंह ने वरिष्ठ प्रवक्ता पदनाम प्राप्त करने के बाद एक ही रिफ्रेशर कोर्स दिनांक 13.10.2001 से 09.11.2001 तक किया है। नियुक्ति पत्र के आधार पर 5 वर्ष के अन्दर ही पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य था जो इन्होंने 5 वर्ष के बाद पूरी की है। डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की परिनियमावली 1978 की धारा 49 (ण) के अन्तर्गत मात्र 60 दिनों के भीतर वरिष्ठता आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है। वरिष्ठता निर्धारण कुलपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और प्रत्यावेदक, प्राचार्य के आदेश दिनांक 18.08.1994 से ही डा0 अभय कुमार सिंह से वरिष्ठ है। अतः लगभग 25 वर्षों के उपरान्त वरिष्ठता निर्धारण की शिकायत निराधार है। ए0पी0आई0 आगणन जो का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या के द्वारा किया गया है, उसके अनुसार प्रत्यावेदक का अंक 334 है किन्तु मनमाने तरीके से विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा ए0पी0आई0 अंक 109 करके प्रत्यावेदक को प्राचार्य के पद से वंचित कर डा0 अभय कुमार सिंह को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है। प्रत्यावेदक द्वारा डा0 अभय कुमार सिंह के ए0पी0आई0 आगणन के संदर्भ में कुलपति के समक्ष दिनांक 02.11.2020 को पूरक आपत्तियां प्रस्तुत की थीं जिस पर उन्होंने अपने अंतिम आदेश में कोई विचार नहीं किया। डा0 अभय कुमार सिंह वर्तमान में महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्यावेदक ने वर्ष 1986 में यू0जी0सी0 नेट जे0आर0एफ0 की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं दिनांक 01.04.1987 से 26.07.1988 तक जे0आर0एफ0 (कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति) प्राप्त की है परन्तु इस पर विश्वविद्यालय की आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा कोई अंक नहीं दिया गया है।

3 अवैतनिक मंत्री, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या ने प्रकरण में प्रेषित आख्या में अवगत कराया है कि का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या में नियुक्ति पत्र दिनांक 07.07.1988 के अनुक्रम में प्रत्यावेदक डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने दिनांक 27.07.1988 को कार्यभार ग्रहण किया तथा पत्र दिनांक 28.11.1989 के अनुसार वह दिनांक 27.07.1989 से स्थाई हुए। महाविद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक

412

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

होने के कारण प्रत्यावेदक को डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की प्रथम परिनियमावली 1978 के परिनियम 11.20 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालय के रिक्त प्राचार्य पद का कार्यभार दिनांक 01.07.2020 को दिया गया, न कि इस पद पर उनकी प्रोन्नति की गयी।

4. डा0 अभय कुमार सिंह, रीडर, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन विभाग (सैन्य विज्ञान), का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या ने अवगत कराया है कि महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डा0 अजय मोहन श्रीवास्तव के दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति ने विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली की धारा 11.20 के अन्तर्गत डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को तीन माह के लिए कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया था। डा0 अभय कुमार सिंह ने उक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2020 द्वारा चुनौती दी थी। डा0 अभय कुमार सिंह इस महाविद्यालय में उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होने के उपरान्त नियुक्त होकर दिनांक 27.07.1988 को महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर अद्यतन कार्यरत हैं। उनके साथ ही डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने भी इसी तिथि दिनांक 27.07.1988 को कार्यभार ग्रहण किया है। डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की जन्म तिथि दिनांक 01.10.1965 एवं नियुक्ति तिथि दिनांक 27.07.1988 है जबकि डा0 अभय कुमार सिंह की जन्म तिथि दिनांक 02.10.1962 एवं नियुक्ति तिथि दिनांक 27.07.1988 है।

दिनांक 27.07.1988 को डा0 अभय कुमार सिंह और डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय कार्यभार ग्रहण करते समय जन्मतिथि को आधार मानते हुए विश्वविद्यालय की परिनियमावली 15.02(2) के आधार पर डा0 अभय कुमार सिंह, डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय से वरिष्ठ माने गये। दिनांक 02.09.1993 को पांच वर्षों पश्चात डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा ज्येष्ठता के विरूद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.08.1994 को तत्कालीन प्राचार्य ने विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 15.04(1) के अनुसार डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को डा0 अभय कुमार सिंह से ज्येष्ठ घोषित कर दिया। उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की चयन सूची में डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय योग्यता कम में

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

411

Date : ....

डा0 अभय कुमार सिंह के ऊपर थे। दिनांक 07.03.1995 को डा0 अभय कुमार सिंह द्वारा निर्णय से असंतुष्ट होकर प्राचार्य को प्रत्यावेदन दिया गया। दिनांक 12.06.1998 को महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूची में डा0 अभय कुमार सिंह पुनः ज्येष्ठ दर्शाये गये। दिनांक 18.03.2008 को बीस वर्षों पश्चात डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने वरिष्ठता को लेकर पुनः प्रत्यावेदन दिया। दिनांक 30.03.2009 को प्राचार्य ने डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के प्रार्थना पत्र के विरूद्ध डा0 अभय कुमार सिंह से प्रत्युत्तर की मांग की जिस पर दिनांक 04.04.2009 को डा0 अभय कुमार सिंह ने पुनः ज्येष्ठता हेतु प्राचार्य के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया। दिनांक 14.05.2010 को महाविद्यालय की वरिष्ठता सूची में डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, डा0 अभय कुमार सिंह से ज्येष्ठ घोषित किये गये।

महाविद्यालय द्वारा निर्गत प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची दिनांक 12.06.1998 में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली की धारा 15.02(2) के अन्तर्गत आयु में ज्येष्ठता के आधार पर डा0 अभय कुमार सिंह का नाम डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के ठीक ऊपर था किन्तु महाविद्यालय के प्राध्यापकों की निर्गत वरिष्ठता सूची दिनांक 14.05.2010 में विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 15.04(1) के अन्तर्गत आयोग की चयन सूची की अधिमानता के आधार पर डा0 अभय कुमार सिंह का नाम डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय से ठीक नीचे अंकित हुआ। विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 15.02(2) के अनुसार समान नियुक्ति तिथि होने पर आयु की ज्येष्ठता के आधार पर डा0 अभय कुमार सिंह, डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय से वरिष्ठ हैं। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 अधिसूचना सं0–271 दिनांक 18.07.2018 द्वारा निर्गत किया गया है जिसके प्रावधान लागू करने हेतु शासनादेश दिनांक 28.06.2019 जारी किया गया। वर्तमान में प्रभावी विनियम द्वारा प्राचार्य पद की अर्हता हेतु मानकानुसार प्रकाशित 10 शोध पत्रों एवं ए0पी0आई0 के 110 प्राप्तांकों की पात्रता भी निर्धारित की गयी है। यू0जी0सी0 विनियमन 2018 एवं शासनादेश दिनांक 28.06.2019 द्वारा लागू प्राचार्य पद की अर्हता निम्नवत् है:–

i पीएच0डी0 की उपाधि।

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

46

Date : ....

ii विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण/अनुसंधान की सेवा/अनुभव के साथ कोई आचार्य/सह आचार्य।

iii समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन।

iv परिशिष्ट ।।, तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन 2018 के अनुसार डा0 अभय कुमार सिंह के पास वांछित न्यूनतम 10 से अधिक समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में अनुसंधान प्रकाशन एवं ए0पी0आई0 के 558 प्राप्तांक हैं जो प्राचार्य पद के लिए वर्तमान में प्रभावी अर्हता के अन्तिम दो पात्रता शर्तों के संगत है। कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त होने के उपरान्त डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किये गये बायोडाटा में मानकानुसार प्रकाशित 10 शोध पत्रों का अभाव एवं ए0पी0आई0 का प्राप्तांक 69 होने के आधार पर डा0 पाण्डेय प्राचार्य पद की न्यूनतम निर्धारित अर्हता धारित नहीं करते हैं। डा0 अभय कुमार सिंह के प्रत्यावेदन के कम में विश्वविद्यालय ने पत्र दिनांक 22.09.2020 द्वारा अर्हता एवं वरिष्ठता प्रकरण में सुनवाई हेतु डा0 अभय कुमार सिंह एवं डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को दिनांक 26.09.2020 को विश्वविद्यालय में साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। डा0 अभय कुमार सिंह द्वारा दिनांक 26.09. 2020 को डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के सम्बन्ध में एक पूरक प्रत्यावेदन साक्ष्यों के साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रथम सुनवाई की तिथि दिनांक 26.09. 2020 को प्राचार्य पद की अपेक्षित अर्हता पूरी न करने के कारण कूटरचित ए0पी0आई0 अर्जित करने के लिए डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय कोरोना संक्रमित मुख्य नियन्ता के निकट सम्पर्क में आने का बहाना बनाकर सुनवाई से पलायन कर गये। डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की कोरोना रिपोर्ट न तो पॉजिटिव आयी थी और न तो उनमें कोरोना के कोई लक्षण ही प्रकट हुए थे। नियन्ता के निकट सम्पर्क में रहने वाले महाविद्यालय नियन्ता मण्डल के किसी भी सदस्य ने होम क्वारन्टीन नहीं किया। इस दौरान डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय घर से ही क्वारन्टीन अवधि में महाविद्यालय के सभी कार्य सम्पादित करते रहे। दिनांक 09.10.2020 को सुनवाई की दूसरी तिथि को डा0

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

409

Date : ....

नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा डा0 अभय कुमार सिंह के साथ उपस्थित होते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया जिसमें डा0 पाण्डेय द्वारा स्वआगणित ए0पी0आई0 227 का दावा प्रस्तुत किया गया। द्वितीय सुनवाई में यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि डा0 अभय कुमार सिंह की ए0पी0आई0 महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा सत्यापित है तथा डा0 पाण्डेय की ए0पी0आई0 सत्यापित नहीं है, कुलपति द्वारा उभयपक्षों को अपनी–अपनी ए0पी0आई0 महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा सत्यापित/पुनर्सत्यापित कराने के उपरान्त तीसरी सुनवाई दिनांक 16.10.2020 में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया। कुलपति के आदेश के अनुपालन में महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 ने ए0पी0आई0 सत्यापन की प्रकिया में डा0 अभय कुमार सिंह द्वारा स्वआगणित एवं पूर्व में सत्यापित ए0पी0आई0 579.5 को परिमार्जित कर 753 एवं डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की स्वआगणित ए0पी0आई0 227 को 334 कर दिया। डा0 अभय कुमार सिंह ने दिनांक 12.10.2020 को आपत्ति प्रस्तुत करते हुए इनके ए0पी0आई0 के कूटरचित होने का प्रमाण विश्वविद्यालय को तीसरी सुनवाई में प्रस्तुत किया। तीसरी सुनवाई दिनांक 16.10.2020 को सुनवाई के दौरान डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने डा0 अभय कुमार सिंह के द्वारा लगाये गये धोखाधड़ी के आरोपों के विरूद्ध खीझकर चौथी सुनवाई में डा0 अभय कुमार सिंह के ऊपर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा दिया। डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने साहित्यिक चोरी का आरोप लगाने के लिए जिस साफ्टवेयर का उपयोग किया वह विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत साफ्टवेयर भी नहीं है, विश्वविद्यालय का अधिकृत साफ्टवेयर 'उरकुन्ड' है। विश्वविद्यालय ने केवल यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 में वर्णित अर्हता के आधार पर दिनांक 02.01.2021 को निर्णय प्रदान किया। विश्वविद्यालय ने वरिष्ठता के विवाद को नियमानुसार विश्वविद्यालय की वरिष्ठता निर्धारण समिति को संदर्भित कर दिया।

विश्वविद्यालय द्वारा साक्ष्यों, तथ्यों, परिनियमों, अभिलेखों से प्राप्त निष्कर्ष एवं डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की प्रथम परिनियमावली की धारा–11.20 एवं संशोधित परिनियम 10.16, यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018, शासनादेश दिनांक 28.06.2019 में निहित व्यवस्था के कम में प्रत्यावेदन का निस्तारण किया। डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गयी है। तत्कालीन

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

408

Date : ....

कार्यवाहक प्राचार्य डा0 अजय मोहन श्रीवास्तव के सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2020 से रिक्त पद पर महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा–10.16 की उपेक्षा करते हुए परिनियमावली की धारा–11.20 के अन्तर्गत तत्समय स्थापित वरिष्ठता के आधार पर डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया गया था। कुलपति ने प्रकरण के निस्तारण में दिनांक 09.10.2020, 16.10.2020 एवं 06.11.2020 को व्यक्तिगत सुनवाई किया। सुनवाई के दौरान उभय पक्षों को अपना पक्ष, विपक्षी पर आपत्ति एवं आपत्तियों के विरूद्ध प्रत्युत्तर देने का पर्याप्त अवसर दिया गया। प्राचार्य की पात्रता का निर्धारण शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा लागू यू0जी0सी0 विनियमन, 2018 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। शासनादेश दिनांक 03.05.2001 वर्तमान में प्राचार्य पद हेतु लागू नहीं हैं अर्थात वर्तमान परिस्थिति में अप्रासंगिक हैं। प्राचार्य पद की अर्हता से सम्बन्धित प्रभावी शासनादेश 28.06.2019 के अनुसार डा0 अभय कुमार सिंह प्राचार्य पद के लिए अर्हता धारित करते हैं। विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 ने डा0 अभय कुमार सिंह की आपत्तियों के प्रकाश में डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की ए0पी0आई0 को आगणित किया जो डा0 पाण्डेय द्वारा दावा की गयी 227 से घटकर 109 हो गयी तथा मानकानुसार वांछित न्यूनतम 10 शोध पत्र भी नहीं थे। डा0 पाण्डेय की ए0पी0आई0 आपत्तियों के निराकरण उपरान्त 109 हो गयी जो वांछित न्यूनतम ए0पी0आई0 से मात्र एक कम है। इसी कारण विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 ने ए0पी0आई0 आगणन की पुनः जांच की तथा जांचोपरान्त भी ए0पी0आई0 109 रही। यू0जी0सी0 विनियम, 2018 में वर्णित प्राचार्य पद की अर्हता के तीसरी शर्त में न्यूनतम 10 मानकानुसार शोध पत्र एवं चौथी शर्त में ए0पी0आई0 न्यूनतम 110 होनी चाहिए। डा0 पाण्डेय के 10 मौलिक शोध पत्र मानकानुसार नहीं हैं। इस प्रकार डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय प्राचार्य पद की न्यूनतम अर्हता की दो शर्तें पूर्ण नहीं करते हैं।

उत्तर प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में प्राचार्य का चयन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने आयोग के विज्ञापन संख्या–49 के कम में प्राचार्य पद हेतु चयन के लिए आवेदन किया था लेकिन ए0पी0आई0 के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

407

Date : ....

आयोग द्वारा इन्हें अनर्ह मानते हुए डा0 पाण्डेय को चयन प्रकिया से निष्कासित कर दिया गया। डा0 अभय कुमार सिंह ने ए0पी0आई0 के समर्थन में समस्त साक्ष्य सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

5 कुलसचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या ने प्रकरण में प्रेषित आख्या में अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों, अर्हता सम्बन्धी अभिलेखों, साक्ष्यों, विधिक व्यवस्थाओं, यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 जोकि शासनादेश दिनांक 28.06.2019 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित है, की सुसंगत धाराओं में दी गयी व्यवस्था के गहन अनुशीलन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 02.01.2021 का प्रश्नगत निस्तारण आदेश निर्गत किया गया है। डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, प्राचार्य पद हेतु विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह नहीं थे। विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 11.20, सपठित संशोधित परिनियम (यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 शासन के आदेश दिनांक 28.06.2019 के माध्यम से प्रथम परिनियमावली में सम्मिलित) के अन्तर्गत डा0 पाण्डेय प्राचार्य पद हेतु अर्हता धारित नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय की परिनियमावली 11.20 सपठित परिनियम (यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 शासन के आदेश दिनांक 28.06.2019 द्वारा परिनियम में सम्मिलित) के अनुसार प्राचार्य पद की अर्हता निम्न है:–

i पीएच0डी0 की उपाधि।

ii विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण/अनुसंधान की सेवा/अनुभव के साथ कोई आचार्य/सह आचार्य।

iii समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन।

iv परिशिष्ट ।।, तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक।

उपर्युक्त अर्हताओं में से डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय निम्न अर्हताएं पूर्ण नहीं करते हैं:–

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

406
Date : ....

iii समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन।

iv परिशिष्ट ।।, तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक।

इस प्रकार डा0 पाण्डेय प्राचार्य अथवा कार्यवाहक प्राचार्य पद हेतु अर्ह नहीं हैं। मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों पारसनाथ चौबे बनाम उ0प्र0 शासन एवं पांच अन्य (2008 (1) ए0डी0जे0 696), याचिका संख्या 52250/2011, याचिका संख्या 35140 आदेश दिनांक 15.12.2015, याचिका संख्या 63424/2015 आदि में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं कि कार्यवाहक प्राचार्य की योग्यता वही होनी चाहिए जो नियमित प्राचार्य की होती है। डा0 अभय कुमार सिंह द्वारा डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के कार्यवाहक प्राचार्य पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए वरिष्ठता के साथ–साथ अर्ह न होने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय के निस्तारण आदेश में उल्लेख है कि ज्येष्ठता सम्बन्धी विभिन्न तथ्यों पर विचार कर प्रकरण का विनिश्चयन नियमानुसार विश्वविद्यालय की वरिष्ठता निर्धारित समिति को संदर्भित किया जाना नियमसंगत है। उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने, उभय पक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों का प्रत्युत्तर देने हेतु उभय पक्ष को पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रकरण के विधि सम्मत निस्तारण हेतु सुनवाई क्रमशः दिनांक 09.10.2020, 16.10.2020 एवं 06.11.2020 को की गयी जिसमें उभयपक्षों को पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रकरण की प्रथम सुनवाई तिथि 26.09.2020 को डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा कोरोनाग्रस्त प्रशासनिक सहयोगी के निकट सम्पर्क में होने के आधार पर क्वारंटीन में जाने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गयी। अन्तिम सुनवाई को उभयपक्षों द्वारा यह कहना कि उन्हें पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध कुछ नहीं कहना है, निर्णय सुरक्षित कर लिया गया। उभयपक्षों को प्रथम सुनवाई तिथि के लिए लिखित रूप से सूचित किया गया तथा अन्य सुनवाई तिथियों के सम्बन्ध में पूर्व सुनवाई तिथि को पत्रावली पर अगली तिथि निश्चित करते हुए उभयपक्षों को अवगत कराया गया तथा उभयपक्षों द्वारा तिथि से अवगत होते हुए पत्रावली पर हस्ताक्षर भी किये गये। सुनवाई की तिथि की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से प्रेषित नहीं की गयी। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(4) एवं सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार प्रकरण का

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

405

Date : ....

निस्तारण किया गया था। वरिष्ठता प्रकरण का निस्तारण अभी भी नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारण समिति को संदर्भित है।

डा0 अभय कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की ए0पी0आई0 उनके द्वारा ही स्व–आगणित 227 से घटकर 109 हो गयी। इस ए0पी0आई0 को विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा पुनर्परीक्षित भी कराया गया है। पुनर्परीक्षणोपरान्त भी ए0पी0आई0 अपरिवर्तित रही। महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 को मौलिकता/उपयुक्तता के दृष्टिगत प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए ए0पी0आई0 स्कोर आगणित कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया किन्तु महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कालेज आई0क्यू0ए0सी0 का पदेन अध्यक्ष प्राचार्य ही होता है तथा संयोजक व सदस्य प्राचार्य के प्रसाद पर्यन्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त शोध पत्रों के बैक डेट में छपने से सम्बन्धित सम्पादकों द्वारा मूल प्रति न देने तथा 01 वरिष्ठ सदस्य को समिति से हटाने के प्राचार्य के अनुरोध आदि बाधाओं के कारण ए0पी0आई0 आगणन में असमर्थता व्यक्त की गयी तथा विश्वविद्यालय को अपने स्तर से निर्णय लेने हेतु संदर्भित किया। कालेज आई0क्यू0ए0सी0 के असमर्थता व्यक्त करने पर विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा उभयपक्षों की एक दूसरे की आपत्तियों का विधिवत परीक्षण किया गया जिसमें प्लेजरिज्म सम्बन्धी आपत्ति तथा बैकडेट में शोध पत्र प्रकाशित करने आदि आपत्तियों का संज्ञान लिया गया। डा0 अभय सिंह के शोध पत्र, डा0 पाण्डेय की प्लेजरिज्म सम्बन्धी आपत्तियों का संज्ञान लेते हुए आगणन किया गया। इसका आई0क्यू0ए0सी0 से पुनः परीक्षण भी कराया गया जिसमें स्कोर अपरिवर्तित रहे हैं तथा विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 02.01.2021, सभी प्रत्यावेदनों के कथनों/साक्ष्यों का अनुशीलन करते हुए नियमानुसार निर्गत किया गया है।

6 प्रत्यावेदक डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने विपक्षीगण की उपर्युक्त आख्याओं पर अपना प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया है कि निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की रिपोर्ट दिनांक 24.12.2020 के आधार पर कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या ने पारित

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

५०५

Date : ....

आदेश दिनांक 02.01.2021 द्वारा उन्हें ए0पी0आई0 आगणन में मात्र 109 अंक प्रदान कर कार्यवाहक प्राचार्य पद के लिए अनुपयुक्त कर दिया गया है। कुलपति द्वारा आई0क्यू0ए0सी0 से गलत आगणन कराया गया है तथा उन्हें उचित अंक जानबूझकर प्रदान नहीं किया गया है। प्रत्यावेदक ने अगस्त 1986 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा 'कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति' प्राप्त की है, इस बिन्दु के अन्तर्गत उन्हें 05 अंक मिलना चाहिए था जो निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0 की रिपोर्ट में उन्हें तालिका–2 में नहीं दिया गया है। तालिका–1 में डा0 अभय कुमार सिंह के ए0पी0आई0 अंक 434.50 दिखाये गये हैं जबकि प्रत्यावेदक के ए0पी0आई0 अंक 236 दिखाये गये हैं। तालिका–2 में उनकी ए0पी0आई0 में मनमानी कटौती करके न्यूनतम अंक 110 में 01 अंक कम करके उन्हें अनुपयुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कोई साहित्यिक चोरी नहीं की है जबकि डा0 अभय कुमार सिंह के सभी शोध पत्र साहित्यिक चोरी के हैं।

सम्बन्धित पक्षकारों के कथनों, विश्वविद्यालय की आख्या व सम्बन्धित विधि के आलोक में प्रकरण के परीक्षणोपरान्त निष्कर्ष निम्नवत् है :–

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रत्यावेदक द्वारा न्यूनतम विहित अर्हता धारित न करने व विपक्षी डा0 अभय कुमार सिंह को नियमित प्राचार्य पद हेतु विहित न्यूनतम अर्हताधारी वरिष्ठतम शिक्षक घोषित करते हुए महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य पद पर उनकी नियुक्ति हेतु महाविद्यालय को निर्देशित किये जाने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.01.2021 के विरुद्ध प्रत्यावेदक डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा यह प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली का परिनियम 11.20 अवलोकनीय है जो निम्नवत् है :

"11.20 जब किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय, तब प्रबन्धतंत्र किसी अध्यापक को तीन मास की अवधि के लिए या जब तक किसी नियमित प्राचार्य की नियुक्ति न हो जाय, इनमें से जो भी पहले हो, प्राचार्य के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

403

Date : ....

किया जाय या ऐसा प्राचार्य अपना पद ग्रहण न करे तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य करेगा जब तक कि कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न कर दिया जाय।"

8. उपर्युक्त परिनियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि महाविद्यालय में सबसे वरिष्ठ अध्यापक को कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ इस सम्बन्ध में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित याचिका रिट ए संख्याः 63424 आफ 2015 प्रोफेसर मदन मोहन राजपूत बनाम स्टेट आफ यूपी एवं 5 अन्य में पारित निर्णयज विधि भी संज्ञान में रखना होगा जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि कार्यवाहक प्राचार्य की अर्हता वही होगी जोकि नियमित प्राचार्य की होती है, अतः नियमित प्राचार्य हेतु विहित आवश्यक योग्यताधारी महाविद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया जाना चाहिए।

9. सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य की अर्हता के सम्बन्ध में जारी अद्यतन यू0जी0सी0 विनियम, 2018 जिसे विश्वविद्यालय के कथनानुसार विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली में समाहित किया जा चुका है तथा इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28.06.2019 भी जारी किया जा चुका है, प्रकरण में प्रभावी व लागू है जो निम्नवत् है :

i पीएच0डी0 की उपाधि

ii विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम 15 वर्षों के शिक्षण/अनुसंधान की सेवा/अनुभव के साथ कोई आचार्य/सह आचार्य।

iii समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन।

iv परिशिष्ट II, तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक।

10. स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुख्यतः महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य की प्रश्नगत नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक उपर्युक्त विहित न्यूनतम अर्हता के बिन्दु संख्या iii व iv पर उल्लिखित अर्हता का पक्षकारों द्वारा धारित किये जाने अथवा न किये जाने का

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

402
Date : ....

विवाद अर्न्तग्रस्त है। प्रत्यावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि उसे यू0जी0सी0 द्वारा प्रदत्त जूनियर रिसर्च फेलोशिप (NET/JRF) प्राप्त है जिसके सम्बन्ध में उक्त परिनियमों में उल्लिखित यू0जी0सी0 विनियम, 2018 के परिशिष्ट II तालिका 2 के बिन्दु संख्या 5(सी) पर अवार्ड/फेलोशिप कॉलम में ऐसी राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप हेतु 05 अंक प्रदान किया जाना निर्धारित है जिसे विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा प्रत्यावेदक को प्रदान न किये जाने के कारण उसकी ए0पी0आई0 प्राचार्य पद हेतु विहित 110 ए0पी0आई0 से कम हो गयी है। यू0जी0सी0 द्वारा प्रत्यावेदक को प्रदान की गयी उक्त राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप (NET/JRF) के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा प्रत्यावेदक को कोई भी अंक प्रदान न किये जाने संबंधी बिन्दु पर न तो विश्वविद्यालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.01.2021 में विचार किया गया और न ही इसका कोई परीक्षण किया गया जो महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हता विहित करने संबंधी उपरोक्त परिनियमावली के विधिक प्रावधानों के विरुद्ध प्रतीत होता है। यह बिन्दु प्रकरण के निस्तारण के लिए एक निर्णायक व सुसंगत बिन्दु हो सकता है इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आख्या में भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है जो प्रत्यावेदक की इस आपत्ति को स्वीकार करने का प्रभाव रखता है।

11. यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा उभय पक्षकारों की ए0पी0आई0 गणना की पुनरीक्षित गणना संबंधी प्रपत्र की प्रति जो पत्रावली पर उपलब्ध है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्षकारों द्वारा नियमानुसार 10 शोध–पत्र प्रकाशित नहीं किये गये हैं क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें 10 अंक प्रति शोध–पत्र के अनुसार इसके लिए कम से कम 100 अंक प्राप्त होते जबकि सम्बन्धित परिनियमों द्वारा विहित तालिका II के बिन्दु संख्या 1 पर शोध–पत्र हेतु की गयी गणना में विपक्षी को 24 अंक तथा प्रत्यावेदक को 31 अंक प्राप्त होना दर्शित है जो विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 के अनुसार प्रत्यावेदक के साथ–साथ विपक्षी द्वारा भी 10 शोध–पत्र प्रकाशित किये जाने संबंधी अर्हता को संदिग्ध कर देता है। विश्वविद्यालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.01.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश में प्रत्यावेदक के परिनियमानुसार 10 प्रकाशन व 110 ए0पी0आई0 धारित

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

न करने संबंधी अर्हता का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया है परन्तु विपक्षी के द्वारा इन दो अर्हताओं को विशेषकर सम्बन्धित परिनियमावली के बिन्दु iii पर उल्लिखित परिनियमानुसार 10 शोध–पत्र प्रकाशित करने की अर्हता को धारित करने सम्बन्धी तथ्य का सकारण व सम्यक् परीक्षण नहीं किया गया है। इस बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष देना महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर विपक्षी की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के पूर्व आवश्यक था तथा ऐसा न किया जाना समानता, नैसर्गिक न्याय व विधि की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

12. उपर्युक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.01.2021 के अनुसार प्रत्यावेदक व विपक्षी की वरिष्ठता का निस्तारण अभी भी नियमानुसार वष्ठिता निर्धारण समिति को संदर्भित है। यदि प्रकरण में प्रत्यावेदक एवं विपक्षी की आपसी वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है तो इसे महाविद्यालय के अध्यापकों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में किये गये प्रावधान 15.05 के अनुसार ही किया जाना विधिसम्मत है, जो निम्नवत् है :

> *"15.05 अध्यापकों (प्राचार्य से भिन्न) की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। प्राचार्य के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है। यदि कुलपति प्राचार्य से सहमत न हों तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेंगे।"*

13. यह भी स्पष्ट है कि महाविद्यालय काफी समय से कार्यवाहक प्राचार्य के माध्यम से ही प्रशासित किया जा रहा है। महाविद्यालय में कार्यरत कार्यवाहक प्राचार्य की व्यवस्था एक अन्तरिम व्यवस्था है जिसे पूर्णकालिक प्राचार्य के विकल्प के रूप में नहीं प्रयुक्त किया जाना चाहिए। महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्णकालिक प्राचार्य की व्यवस्था शीघ्र किया जाना समीचीन होगा।

14. वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि मिस0 बेंच नं0 26382 ऑफ 2017, प्रो0 नरसिंह प्रति उ0प्र0 राज्य व अन्य अवलोकनीय है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि विश्वविद्यालय के सर्वोच्च

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

५००

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

अधिकारी एवं मुखिया के रूप में कुलाधिपति का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय के क्रिया कलाप न्यायपूर्ण, पारदर्शी एवं उचित तरीके से विधि अनुसार सम्पादित किये जायें तथा कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के अवैध निर्णय/व्यवहार से पीड़ित न हों तथा उसके साथ पारदर्शी, ऋजु व अपक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाय :

"We have no hesitation to hold that as Head of the University, the Chancellor is bestowed with a moral and legal duty to safeguard the interest of the University and to ensure that the administration of the affairs of the University are carried out in a just, fair and proper manner. It is his duty to ensure that the affairs of the University are being governed in an efficient manner and that the University authorities adhere to Rule of Law. As 'Head of the Family' the Chancellor has vast responsibilities to perform which makes him *Parens Patriae* of the University. In his capacity as *Parens Patriae* or Partiarch of the University he has a duty to ensure that any individual does not suffer from any illegality and is treated in a fair, unbiased and transparent manner."

अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत प्रत्यावेदक डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन तदनुसार निस्तारित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.01.2021 निरस्त किया जाता है तथा लागू परिनियमानुसार न्यूनतम योग्यताधारी महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षकारों की आपत्तियों को विचारगत करते हुए एक सकारण निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है। महाविद्यालय के वर्तमान कार्यवाहक प्राचार्य तब तक महाविद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों का सम्पादन मात्र करते रहेंगे तथा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। इसके साथ ही उच्चतर शिक्षा सेवा चयन

309

कुलाधिपति
डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद (उ0प्र0) – 224001

CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
FAIZABAD (U.P.) - 224001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

आयोग, उत्तर प्रदेश से नियमित प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में भी विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

ह०

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, रीडर, सैन्य विज्ञान विभाग, का0सु0 साकेत महाविद्यालय, अयोध्या।
2. डा0 अभय कुमार सिंह, रीडर, सैन्य विज्ञान विभाग, का0सु0 साकेत महाविद्यालय, अयोध्या।
3. प्रबन्धक / अवैतनिक मंत्री, का0सु0 साकेत महाविद्यालय, अयोध्या।
4. कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

15. In compliance of aforesaid order, Vice Chancellor passed an order dated 26.10.2021, which is as under:-

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, (उ0प्र0)

पत्र संख्याः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2021 / 6330 दिनांक : 26.10.2021

421

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव,
श्री राज्यपाल / कुलाधिपति,
राज्यपाल सचिवालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, रीडर, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन (सैन्य विज्ञान) का0सु0 साकेत पी0जी0 कालेज, अयोध्या द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक ई0 3584 / जी0एस0 दिनांक 09 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जो डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, रीडर सैन्य विज्ञान, का0सु0 साकेत पी0जी0 कालेज, अयोध्या द्वारा कार्यवाहक प्राचार्य पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रत्यावेदन से सम्बन्धित है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महामहिम राज्यपाल / कुलाधिपति महोदया के आदेश के अनुक्रम में कुलपति महोदय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण आदेश दिनांक 26.10.2021 से कर दिया गया है। आदेश की प्रति संलग्न है।

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अध्यक्ष अवैतनिक सचिव, प्रबन्ध समिति, का0सु0 साकेत, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
2. डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, एसो0 प्रो0, का0सु0 साकेत, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
3. डॉ0 अभय कुमार सिंह, एसो0 प्रो0, का0सु0 साकेत, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, स्मृति उपवन सेक्टर एम आशियाना लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
5. पत्रावली।

कुलसचिव

मा0 कुलपति जी
कृपया अनुमोदनार्थ।
26.10.021
26.10.021

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, (उ0प्र0)

दिनांक– 26.10.2021

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या–22257 (एस/एस)/2021 में पारित आदेश दिनांक: 30.09.2021 का परिशीलन किया जिसका कियात्मक अंश निम्नवत् है–

Sri Paritosh Shukla has Confined his prayer for a direction to the Vice Chancellor to decide the dispute pertaining to the seniority of the Professors working in the University in terms of the order dated 09-06-2021 passed by the Chancellor within a certain time frame.

Sri Prashant Kumar Tripathi has submitted that the matter is under consideration of the Vice Chancellor and the same shall be decided within a maximum period of one month from today.

उक्त आदेश के समादर एवं अनुपालन में मा0 कुलाधिपति के आदेश पत्रांक ई–3584/जी0एस0 दिनांक 09.06.2021 का परिशीलन किया, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 02.01.2021 निरस्त कर सम्बन्धित पक्षकारों की आपत्तियों को विचारगत करते हुए एक सकारण निर्णय पारित किये जाने तथा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश से नियमित प्राचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया है। मा0 कुलाधिपति के आदेश दिनांक 09.06.2021 के प्रस्तर 10,11 एवं 12 में विचारणीय पहलू की विवेचना की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में उपरिसंदर्भित बिन्दु संख्या 10 एवं 11 में विवेचित पहलुओं के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक लो0अ0वि0/सम्ब0/2021/6061 दिनांक 25.09.2021 से विश्वविद्यालय के निदेशक आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ से आख्या आहूत की गई। निदेशक आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ की आख्या निम्नवत् है–

Kindly take note of the enclosed letter no. लो0/अ0/वि0/ सम्ब0/ 2021/ 6061 डैटिड 25/09/2021 regarding clarification on point no. 10 & 11 of letter no. स0-ई0.3584/ जी0एस0 dated 09 June, 2021 from Honourable Chancellor of the State of Uttar Pradesh. The clarification sought is presented below:

Based on the documentary evidences provided by Dr. Narbdeshwar Pandey, Dr. Abhay Kumar Singh & Dr. Mahendra Pathak and abiding by the **"UGC Regulations of Minimum Qualifications for appointments of teachers and other Acadmic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018"** of University Grants Commission, New Delhi through notification via The Gazette of India published on July 18, 2018 the API score was calculated for the candidature of Principal at K.S. Saket P.G. College, Ayodhya.

1- (a) **Dr. Narvedeshwar Pandey** has a cumulative score **of 85.00** with **40** points in research publication (10 points for each relevant paper with single author) and 15 points for publications other than reserach papers/ articles. His publications have issues of repetition (plagiarism) and discrepency in page numbers. The points awarded for successful guidance of Ph.D. is 30 (10 for each upon successful completion & 05 for submission). No points for project and for seminar participation & presentation.

(b) **Dr. Abhay Kumar Singh** has a cumulative score **of 252.00 points** with 24 points in research publication (10 points as single author and 07 points for each publication with two authors; in cases with more than 03 authors the division as per the above regulation is 70:30 in which 70% is for first/ corresponding author) and 135.5 points in publications other than research papers / articles. The points awarded for successful guidance of Ph.D. is 55 (10 for each upon successful completion & 05 for submission). For project 05 points and 33 points for seminar participation & presentation.

नर्वदेश्वर पाण्डेय

(60)

-2-

(c) Dr. Mahendra Pathak has a cumulative score of 342.00 points with 00.00 points in research publication and 10 points for publications other than research papers / articles. The points awarded for successful guidance of Ph.D. is 270 (10 for each upon successful completion). For PG dissertation 22.00 points and 40 points for seminar participation & presentation.

2. Dr. Pandey is UGC-NET JRF (Sr. No. 1827, Roll Number 240534, Year- August 1986) and is of the opinion that score must be given for his accomplishment. As these fellowships are awarded to meritorious candidates for pursuing Ph.D. program, this does not merit for score in this category for the appointment of Principal. As UGC is silent on this issue, in my opinion a correspondence for clarity may be sought from UGC, New Delhi to resolve this ambiguity. Hence, credit for this will remain pending till clarification is received.

जहां तक आदेश दिनांक 09.06.2021 के बिन्दु संख्या 12 का प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण महाविद्यालय से निकलकर अगले पायदान अर्थात विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के नियम 15.05 के तहत ही निस्तारित होने के उपरान्त संदर्भ संस्थित किया गया, जहाँ से प्रत्यावर्तित होकर प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्त परिस्थितियों में निदेशक आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चियन प्रकोष्ठ की आख्या के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमन/निर्देश के अभाव मे डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति (जे0आर0एफ0) का अंक प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय वरिष्ठता सूची में प्रथम स्थान पर अंकित होने के बावजूद भी अर्हता शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक निर्धारित 110 से कम होने से प्राचार्य पद हेतु अर्ह नही है। ऐसी स्थिति में डा0 अभय कुमार सिंह का0सु0 साकेत महाविद्यालय अयोध्या के कार्यवाहक प्राचार्य पद पर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन अयोग उत्तर प्रदेश से नियमित प्राचार्य की नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण तक बने रहेगें। यह उल्लेखनीय है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन अयोग उत्तर प्रदेश के पत्रांक डिग्री-अर्थ-1(आयोग)/238-246/2021-22 दिनांक 22/10/2021 से महाविद्यालय के लिए डा0 अरविन्द सिंह नियमित प्राचार्य चयनित/संस्तुत किये गये है जिनके कार्यभार ग्रहण करते ही डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, डा0 अभय कुमार सिंह एव डा0 महेन्द्र पाठक के मध्य कार्यवाहक प्राचार्य के विवाद का स्वतः पटाक्षेप हो जायेगा।

प्रकरण तदानुसार निस्तारित किया जाता है।

ह0/-

कुलपति

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष अवैतनिक सचिव प्रबन्ध समिति, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
2. डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय,एसो0 प्रो0, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
3. डा0 अभय कुमार सिंह, एसो0 प्रो0, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, स्मृति उपवन सेक्टर एम आशियाना लखनऊ मण्डल, लखनऊ
5. पत्रावली।

कुलसचिव

16. The aforesaid order and its consequential order was then challenged before the Chancellor again and the Chancellor allowed the representation of the applicant on 17.11.2022 by setting aside the order dated 26.10.2021 with a direction to the University to decide the controversy of seniority between the applicant and respondent no.3 as well as I.Q.A.C. & A.P.I. and also determine the person for holding the post of officiating principal. The order dated 17.11.2022 passed by the Chancellor is as under:-

381
28/11/22

614

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

संख्या:ई– 7476 / जी०एस०

दिनांक 17 नवम्बर, 2022

कुलसचिव
for n/a

आदेश

1. प्रत्यावेदक डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, सह आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन (सैन्य विज्ञान), का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के आदेश दिनांक 26.10.2021, 18.12.2021 एवं कुलसचिव के पत्र दिनांक 08.03.2022 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रत्यावेदन दिनांक 14.04.2022 प्रस्तुत करते हुए, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट ए नं0 1845 ऑफ 2022, डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2022 एवं रिट ए नं0 4493 ऑफ 2022 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2022 के कम में उपर्युक्त आदेशों को निरस्त कर महाविद्यालय में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने तक महाविद्यालय के न्यूनतम योग्यताधारी वरिष्ठतम शिक्षक (स्वयं) को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

384
24/11/2022
2704
24/11/22

2(अ). इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.10.2021 का सुसंगत अंश निम्नवत एवं अवलोकनीय है :

"..... जहां तक आदेश दिनांक 09.06.2021 के बिन्दु संख्या 12 का प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण महाविद्यालय से निकलकर अगले पायदान अर्थात विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के नियम 15.05 के तहत निस्तारित होने के उपरान्त संदर्भ संस्थित किया गया, जहाँ से प्रत्यावर्तित होकर प्रकरण विचाराधीन है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ की आख्या के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमन/निर्देश के अभाव में डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति (जे0आर0एफ0) का अंक प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय वरिष्ठता सूची में प्रथम स्थान पर अंकित होने के बावजूद भी अर्हता शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक निर्धारित 110 से कम होने से प्राचार्य

प्राप्त 05/12/22

6Ɓ

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

नर्वदेश्वर पाण्डेय को कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति (जे0आर0एफ0) का अंक प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय वरिष्ठता सूची में प्रथम स्थान पर अंकित होने के बावजूद भी अर्हता शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक निर्धारित 110 से कम होने से प्राचार्य पद हेतु अर्ह नहीं हैं। ऐसी स्थिति में डॉ0 अभय कुमार सिंह, का0सु0 साकेत महाविद्यालय, अयोध्या के कार्यवाहक प्राचार्य पद पर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 से नियमित प्राचार्य की नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण तक बने रहेंगे। यह उल्लेखनीय है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश के पत्रांक : डिग्री–अर्थ–1(आयोग)/238–246/2021–22 दिनांक 22.10.2021 से महाविद्यालय के लिए डॉ0 अरविन्द सिंह नियमित प्राचार्य चयनित/संस्तुत किये गये हैं जिनके कार्यभार ग्रहण करते ही डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, डॉ0 अभय कुमार सिंह एवं डॉ0 महेन्द्र पाठक के मध्य कार्यवाहक प्राचार्य के विवाद का स्वतः पटाक्षेप हो जायेगा। तदनुसार प्रकरण निस्तारित किया जाता है।'

उल्लेखनीय है कि नियमित प्राचार्य डॉ0 अरविन्द सिंह द्वारा महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, दिनांक 14.12.2021 को अप्रत्याशित त्याग–पत्र देने पर उनका त्याग–पत्र दिनांक 19.12.2021 को स्वीकार कर लिया गया है। प्राचार्य पद रिक्त होने पर महाविद्यालय द्वारा, विपक्षी डॉ0 अभय कुमार सिंह को यू0जी0सी0 विनियम, 2018 में वर्णित प्राचार्य पद का अर्हताधारी महाविद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक होने के कारण कार्यवाहक प्राचार्य का पदभार दिया गया है। परिणामस्वरूप विपक्षी, डॉ0 सिंह तब से अद्यतन कार्यरत होने के कारण प्रत्यावेदक एवं विपक्षी का वरिष्ठता–विवाद व इनके मध्य कार्यवाहक प्राचार्य पद की दावेदारी समाप्त नहीं हुई है तथा प्रत्यावेदक एवं विपक्षी के मध्य गतिमान वरिष्ठता विवाद, वरिष्ठता निर्धारण समिति को संदर्भित होने का उल्लेख विपक्षी की आख्या में किया गया है ।

2(ब). प्रकरण के सम्बन्ध में, प्रत्यावेदक के पूर्व प्रत्यावेदन के आधार पर मा0 कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश संख्या : ई–3584/जी0एस0, दिनांक 09.06.2021 का सुसंगत अंश निम्नवत है :

''10. *स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुख्यतः महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य की प्रश्नगत नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक उपर्युक्त विहित न्यूनतम अर्हता के बिन्दु संख्या iii व iv पर उल्लिखित अर्हता का पक्षकारों द्वारा धारित किये जाने अथवा न किये जाने का विवाद*

612

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

अन्तर्ग्रस्त है । प्रत्यावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि उसे यू0जी0सी0 द्वारा प्रदत्त जूनियर रिसर्च फेलोशिप (NET/JRF) प्राप्त है जिसके सम्बन्ध में उक्त परिनियमों में उल्लिखित यू0जी0सी0 विनियम, 2018 के परिशिष्ट II तालिका 2 के बिन्दु संख्या 5(सी) पर अवार्ड/फेलोशिप कॉलम में ऐसी राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप हेतु 05 अंक प्रदान किया जाना निर्धारित है जिसे विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा प्रत्यावेदक को प्रदान न किये जाने के कारण उसकी ए0पी0आई0 प्राचार्य पद हेतु विहित 110 ए0पी0आई0 से कम हो गयी है । यू0जी0सी0 द्वारा प्रत्यावेदक को प्रदान की गयी उक्त राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप (NET/JRF) के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा प्रत्यावेदक को कोई भी अंक प्रदान न किये जाने सम्बन्धी बिन्दु पर न तो विश्वविद्यालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.01.2021 में विचार किया गया और न हीं इसका कोई परीक्षण किया गया जो महाविद्यालय के प्राचार्य की अर्हता विहित करने सम्बन्धी उपरोक्त परिनियमावली के विधिक प्रावधानों के विरुद्ध प्रतीत होता है । यह बिन्दु प्रकरण के निस्तारण के लिए एक निर्णायक व सुसंगत बिन्दु हो सकता है । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अपनी आख्या में भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है जो प्रत्यावेदक की इस आपत्ति को स्वीकार करने का प्रभाव रखता है ।

11. यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा उभय पक्षकारों की ए0पी0आई0 गणना की पुनरीक्षित गणना सम्बन्धी प्रपत्र की प्रति जो पत्रावली पर उपलब्ध है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्षकारों द्वारा नियमानुसार 10 शोध–पत्र प्रकाशित नहीं किये गये हैं क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें 10 अंक प्रति शोध–पत्र के अनुसार इसके लिए कम से कम 100 अंक प्राप्त होते जबकि सम्बन्धित परिनियमों द्वारा विहित तालिका II के बिन्दु संख्या 1 पर शोध–पत्र हेतु की गयी गणना में विपक्षी को 24 अंक तथा प्रत्यावेदक को 31 अंक प्राप्त होना दर्शित है जो विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 के अनुसार प्रत्यावेदक के साथ–साथ विपक्षी द्वारा भी 10 शोध पत्र प्रकाशित किये जाने सम्बन्धी अर्हता को संदिग्ध कर देता है । विश्वविद्यालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.01.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश में प्रत्यावेदक के परिनियमानुसार 10 प्रकाशन व 110 ए0पी0आई0 धारित न करने सम्बन्धी अर्हता का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया है परन्तु विपक्षी के द्वारा इन दो अर्हताओं को विशेषकर सम्बन्धित परिनियमावली के बिन्दु iii पर उल्लिखित परिनियमानुसार 10 शोध–पत्र प्रकाशित करने की अर्हता को धारित करने सम्बन्धी तथ्य का सकारण व सम्यक् परीक्षण नहीं किया गया है । इस बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष देना महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर विपक्षी की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के पूर्व आवश्यक था तथा ऐसा न

611

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

किया जाना समानता, नैसर्गिक न्याय व विधि की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत प्रत्यावेदक डॉ0 नर्वदेश्वर पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन तदनुसार निस्तारित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.01.2021 को निरस्त किया जाता है ।"

3(अ). प्रत्यावेदक का कथन है कि पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य डॉ0 अजय मोहन श्रीवास्तव के 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त कर दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात प्रत्यावेदक को परिनियमावली के परिनियम 11.20 के प्रावधानानुसार दिनांक 29.06.2020 को 03 माह के लिए कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किये जाने पर प्रत्यावेदक द्वारा दिनांक 01.07.2020 को महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया गया । प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार प्रत्यावेदक को दिनांक 01.10.2020 से उक्त पद पर विस्तार लाभ प्रदान किये जाने पर प्रत्यावेदक द्वारा दिनांक 01.10.2020 से कार्यवाहक प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया गया। प्रत्यावेदक को दिनांक 01.01.2021 से पुनः कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किये जाने पर प्रत्यावेदक द्वारा पुनः दिनांक 01.01.2021 से कार्यवाहक पद का पदभार ग्रहण किया गया, जिसके विरूद्ध डा0 अभय कुमार सिंह, सह–आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन द्वारा दिनांक 21.07.2020 को अर्हता एवं ज्येष्ठता के आधार पर चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय में प्रत्यावेदन दिया गया, जिसका निस्तारण करते हुए कुलपति द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 02.01.2021 में कथन किया गया कि यू0जी0सी0 रेग्यूलेशन 2018 व विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय 15 की सुसंगत धाराओं में दी गई व्यवस्था के आलोक में विपक्षी डा0 अभय कुमार सिंह (विपक्षी) सह–आचार्य, प्राचार्य पद की न्यूनतम अर्हता धारक व महाविद्यालय में वरिष्ठतम प्राध्यापक हैं एवं प्रत्यावेदक डॉ0 पाण्डेय प्राचार्य पद की न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यावेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 733(एस/एस)/2021 डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय बनाम उत्तर

610

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा धारा 68 के अन्तर्गत प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्यावेदन का निस्तारण कुलाधिपति द्वारा दो माह के अन्दर करने हेतु आदेश दिनांक 25.01.2021 को पारित किया गया। प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 02.01.2021 को निरस्त किये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन को कुलाधिपति आदेश संख्या : ई–3584/जी0एस0, दिनांक 09.06.2021 द्वारा निस्तारित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2021 को निरस्त कर, लागू परिनियमानुसार योग्यताधारी वरिष्ठतम शिक्षक को महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्त किये जाने के संबंध में संबंधित पक्षकारों की आपत्तियों को विचारगत करते हुए एक सकारण निर्णय लिये जाने एवं वर्तमान कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा तब तक महाविद्यालय के दिन–प्रतिदिन के कार्यो का सम्पादन करने एवं कोई नीतिगत निर्णय न लेने के लिए निर्देशित किया गया तथा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 से नियमित प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

3(ब). प्रत्यावेदक का यह भी कथन है कि महाविद्यालय में विपक्षी डा0 अभय कुमार सिंह की नियुक्ति दिनांक 27.07.1988 को प्रवक्ता पद पर हुई। विपक्षी द्वारा प्रथम रिफ्रेशर कोर्स दिनांक 20.11.1993 से 17.12.1993 एवं इसके बाद वरिष्ठ प्रवक्ता से सेलेक्शन ग्रेड (रीडर पदनाम) प्राप्त करने के लिए दूसरा रिफ्रेशर कोर्स दिनांक 13.10.2001 से 09.11.2001 तक पूर्ण किया गया है । नियुक्ति पत्र के आधार पर 05 वर्ष के अन्दर पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त करना अनिवार्य था जो विपक्षी द्वारा 05 वर्ष बाद पूरी की गयी है । प्रत्यावेदक द्वारा दिनांक 26.07.2021 को ए0पी0आई0 गणना हेतु समस्त प्रपत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित किये गये। निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ द्वारा पत्र दिनांक 25.09.2021 के माध्यम से प्रत्यावेदक की पूर्व ए0पी0आई0 109 से घटाकर 85 अंक कर दी गई। दिनांक 26.10.2021 को शैक्षणिक प्रदर्शन

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

659

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

संकेतक (ए०पी०आई०) आगणन रिपोर्ट के पुनरावलोकन हेतु दिनांक 26.11.2021 को प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय से अनुरोध करने पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। कुलसचिव द्वारा ए०पी०आई० गणना संबंधी उसके प्रत्यावेदन को पुनर्गणना हेतु महाविद्यालय आई०क्यू०ए०सी० को संदर्भित किया गया। विपक्षी डा० सिंह की दिनांक 16.11.2021 की ए०पी०आई० पुनर्गणना की मांग को स्वीकार कर, संशोधित करते हुए प्राचार्य पद के लिए अर्हताधारी बता दिया गया। प्रत्यावेदक को महाविद्यालय की आई०क्यू०ए०सी० द्वारा ए०पी०आई० आगणन में 320 अंक प्रदान किये गये । महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा विपक्षी डा० अभय कुमार सिंह को विधिविरूद्ध एकपक्षीय प्रकिया के आधार पर महाविद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किये जाने के विरुद्ध विपक्षी की ए०पी०आई० पर निम्न आपत्तियॉं की गई :

"(क) विपक्षी की आई०क्यू०ए०सी० द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में शोध–निर्देशन हेतु 55 अंक प्राप्त किये है किन्तु विपक्षी द्वारा किन–किन शोध छात्रों को निर्देशित किया गया है, का कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । विपक्षी द्वारा रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 10 अंक प्राप्त किये गये हैं किन्तु इसका कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी के ए०पी०आई० आगणन के संबंध में विश्वविद्यालय के समक्ष दिनांक 02.11.2020 को प्रेषित पूरक आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया गया।

(ख) जिन शोध–पत्रों के आधार पर विपक्षी डा० अभय कुमार सिंह प्राचार्य पद हेतु अर्हता धारित करते हैं, वे प्रपत्र व उनके संबंध में जनसूचनाधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, विश्वविद्यालय तथा मुख्य सूचना आयुक्त, लखनऊ से मांगी गयी सूचनाएं अभी अप्राप्त हैं ।

(ग) दिनांक 18.12.2021 के पूर्व विपक्षी के अधिकांश शोध–पत्र 70 प्रतिशत से अधिक साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आते हैं, इस सम्बन्ध में दिनांक 17.02.2021 को सप्रमाण अवगत कराये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।'

कुलसचिव के आदेश दिनांक 26.10.2021 में प्रत्यावेदक को प्रथम स्थान पर रखा गया है तथा वह महाविद्यालय में सबसे वरिष्ठ अध्यापक है। प्रत्यावेदक के 10 शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं तथा

608

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

02 विषय विशेषज्ञों की संस्तुति के साथ कुलसचिव को अग्रसारित किये जाने के कारण डी–लिट् उपाधि के लिए रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन (सैन्य विज्ञान) विषय में उसका पंजीकरण हो चुका है जिससे प्रत्यावेदक प्राचार्य पद के लिए नियमतः अर्हता धारित करता है । प्रत्यावेदक को इसी विषय की शोध समिति का संयोजक एवं अध्ययन बोर्ड का संयोजक नियुक्त किया गया है जबकि विपक्षी डा0 सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया। अतएव प्रत्यावेदक को उच्चत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग से नियमित प्राचार्य नियुक्त होने तक महाविद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया जाये ।

4(क). विपक्षी प्रो0 अभय कुमार सिंह का कथन है कि महाविद्यालय के पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य डा0 अजय मोहन श्रीवास्तव के दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा परिनियम 11.20 में उल्लिखित नियमों के तहत प्रत्यावेदक डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को 03 माह की अवधि हेतु महाविद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया गया। यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2018 के अनुसार प्रत्यावेदक द्वारा प्राचार्य पद की अर्हता धारित न करने एवं विपक्षी द्वारा उक्त पद की योग्यता धारित करने के आधार पर विपक्षी द्वारा उक्त नियुक्ति को चुनौती दी गयी । उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित होने के पश्चात दिनांक 27.07.1988 को नियुक्त होकर विपक्षी द्वारा व प्रत्यावेदक द्वारा भी उसी तिथि को महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया। प्रत्यावेदक की जन्मतिथि दिनांक 01.01.1965 एवं विपक्षी डा0 अभय कुमार सिंह की जन्म तिथि दिनांक 02.10.1962 है। दिनांक 12.06.1998 को महाविद्यालय द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची परिनियम 15.02(2) के अनुसार आयु में ज्येष्ठता के आधार पर विपक्षी का नाम प्रत्यावेदक डा0 पाण्डेय के ठीक ऊपर था, किन्तु दिनांक 14.05.2010 को निर्गत वरिष्ठता सूची परिनियम 15.04(1) के अनुसार आयोग की चयन सूची की अधिमानता के आधार पर

607

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

विपक्षी का नाम, प्रत्यावेदक डा0 पाण्डेय से ठीक नीचे अंकित किया गया। विश्वविद्यालय परिनियमावली की धारा 15.02(2) के अनुसार दोनों प्राध्यापकों की नियुक्ति तिथि एक होने पर आयु की ज्येष्ठता के आधार पर विपक्षी डॉ0 सिंह, प्रत्यावेदक डा0 पाण्डेय से वरिष्ठ हैं।

4(ख). वर्तमान में प्रभावी विनियम द्वारा प्राचार्य पद की अर्हता हेतु मानकानुसार प्रकाशित 10 शोध–पत्रों एवं ए0पी0आई0 के 110 प्राप्तांकों की पात्रता निर्धारित है । यू0जी0सी विनियम, 2018 व शासनादेश दिनांक 28.06.2019 द्वारा लागू प्राचार्य पद की अर्हता निम्नवत् है :

"*(ए) पीएच0डी0 की उपाधि ।*
(बी) विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम 15 वर्षो के शिक्षण/अनुसंधान की सेवा/अनुभव के साथ कोई आचार्य/सह आचार्य।
(सी) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन ।
(डी) परिशिष्ट ।।, तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक ।

उक्तानुसार विपक्षी डा0 सिंह के पास 10 से अधिक समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा यू0जी0सी0 सूचीबद्ध जर्नल में अनुसंधान प्रकाशन एवं API के 558 प्राप्तांक हैं जो कि प्राचार्य पद के लिए वर्तमान में प्रभावी अर्हता की अन्तिम दो पात्रता शर्तो के संगत है जबकि प्रत्यावेदक महाविद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त होने के पश्चात महाविद्यालय के वेबसाईट पर प्रदर्शित किये गये बॉयोडाटा के मानकानुसार प्रकाशित 10 शोध पत्रों के अभाव में एवं ए0पी0आई0 69 होने के आधार पर प्राचार्य पद की निर्धारित अर्हता धारित नहीं करते है। मा0 कुलाधिपति द्वारा डी0सी0एस0 खण्डेलवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊनाथ भंजन के डॉ0 अरविन्द कुमार मिश्र, श्री दुर्गा जी स्नातकोततर महाविद्यालय, चण्डेश्वर, आजमगढ़ के डॉ0 फूलचन्द्र सिंह एवं कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर द्वारा हीरालाल

606

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

रामनिवास पी0जी0 कॉलेज, संत कबीरनगर आदि के प्रकरणों में अवधारित किया गया है कि अर्हताधारी ज्येष्ठतम प्राध्यापक को ही कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया जाना विधिसम्मत है । प्रत्यावेदक डा0 पाण्डेय को विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 22.09.2020 द्वारा अर्हता एवं वरिष्ठता प्रकरण की सुनवाई हेतु साक्ष्यों सहित दिनांक 26.09.2020 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। विपक्षी डा0 सिंह द्वारा प्रत्यावेदक डा0 पाण्डेय के द्वारा किये गये कदाचार, दुराचरण, अभद्रता, प्रशासनिक दायित्वों की अवहेलना, विभागीय सहयोगियों के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार एवं डा0 पाण्डेय को निलम्बित किये जाने संबंधी पूरक प्रत्यावेदन साक्ष्यों सहित दिनांक 26.09.2020 को विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया। ए0पी0आई0 की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 26.09.2020 को अपेक्षित अर्हता पूरी न करने के कारण कोविड–19 संक्रमिक मुख्य नियन्ता के सम्पर्क में आने का बहाना बनाकर प्रत्यावेदक पलायन कर गये, जबकि उनकी कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव नहीं थी और न ही कोरोना के कोई लक्षण ही प्रकट हुए थे। क्वारन्टीन अवधि में भी प्रत्यावेदक महाविद्यालय के कार्य सम्पादित करते रहे तथा होम क्वारन्टीन के दौरान ही सुनवाई की अगली तिथि 09.10.2020 में कूटरचित शोध पत्रों को बैकडेट में प्रकाशित कराया गया। प्रत्यावेदक द्वारा 227 ए0पी0आई0 का दावा प्रस्तुत किया गया है । प्रत्यावेदक द्वारा 32 वर्ष की सेवा में कुल 17 शोध पत्रों की प्रस्तुति विभिन्न संगोष्ठियों में दर्शायी गयी है। उनके द्वारा सेवाकाल में 11 शोध पत्रों मे से मात्र 5 शोध पत्र अपने मूल विषय रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विषय की संगोष्ठियों में प्रस्तुत किये गये हैं। 04 शोध–पत्र साकेत महाविद्यालय में ही सम्पन्न समाजशास्त्र विषय की संगोष्ठी में प्रस्तुत किये गये हैं । प्रत्यावेदक द्वारा डा0 योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी के सहयोग से 69 ए0पी0आई0 अंकों की व्यवस्था की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण के संबंध में दिनांक 26.10.2021 को जारी किये गये निस्तारण आदेश में

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

605

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

अर्हता धारक होने के बावजूद तत्सम्बन्धी कोई स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण विपक्षी द्वारा किये गये अनुरोध पर पूरक आदेश दिनांक 18.12.2021 द्वारा यू0जी0सी0 नियमन, 2018 के आलोक में विपक्षी को प्राचार्य पद का अर्हताधारी महाविद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक होने के कारण प्राचार्य पद का दायित्व पुनः सौंपा गया तब से विपक्षी कार्यवाहक प्राचार्य के दायित्वों का सतत निर्वहन कर रहा है । यू0जी0सी0 विनियम, 2018 के अनुसार प्राचार्य पद की अर्हता प्रोफेसर पद की अर्हता के समान है।

4(ग). विपक्षी का यह भी कथन है कि उसे प्रोफेसर पदनाम दिनांक 01.11.2021 से प्रदान किया गया है जबकि प्रत्यावेदक को दिनांक 31.05.2022 से प्रदान किया गया है प्रत्यावेदक महाविद्यालय के 42 प्रोफेसर पदनामधारी प्राध्यापकों में कनिष्ठतम प्रोफेसर है । प्रत्यावेदक की 32 वर्ष की सेवाकाल में 17 शोध–पत्र तथा अगले ग्यारह माह में 15 शोधपत्र समझ से परे, बैकडेटेड, संदिग्ध व फर्जी हैं । विश्वविद्यालय में अर्हता विवाद योजित होने के समय प्रत्यावेदक के पास मात्र 03 शोध पत्र थे, जिसकी पुष्टि प्रत्यावेदक के बायोडाटा से होती है। प्रत्यावेदक द्वारा जल्दबाजी में बैकडेटिंग करके फर्जी तरीके से 14 और शोध पत्र प्रकाशित दर्शाए गये हैं। इसके बावजूद आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा फर्जी बैकडेटिंग माने जाने के दृष्टिगत अमान्य किये जाने पर हड़बड़ी में वर्ष 2021 में 15 शोध पत्र और प्रकाशित करा लिये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक द्वारा अर्हता पूरी करने के लिए हड़बड़ी एवं जल्दबाजी में धोखाधड़ी, बैकडेटिंग व टेम्परिंग का कपटपूर्ण कृत्य किया गया है । विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा प्रत्यावेदक के संदिग्ध, बैकडेटिंग किए हुए आपत्ति कारक शोध पत्रों के सापेक्ष ए0पी0आई0 प्रदान नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 की पुनर्आगणित ए0पी0आई विवादों के कारण निष्प्रभावी हो गई एवं महाविद्यालय द्वारा ए0पी0आई0 को पुनआर्गणित करने से मना

604

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

कर दिया गया है। प्रत्यावेदक द्वारा वरिष्ठता के संबंध में विश्वविद्यालय प्रेषित किये गये पत्र को विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 02.01.2021 द्वारा विश्वविद्यालय की वरिष्ठता समिति को प्रेषित करने को नियम संगत बताया गया है तथा डा0 सिंह के शोध निर्देशन के दावे के अन्तर्गत 55 ए0पी0आई0, शोध परियोजना के दावे हेतु 10 ए0पी0आई0 के प्रमाण संबंधित पत्रावली में संलग्न होने के आधार पर लगाई गई आपत्तियों को विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निरस्त कर दिया गया था। प्रत्यावेदक द्वारा शोध पत्रों के प्रकाशन में अपने कपटपूर्ण धोखाधड़ी के कृत्य को छिपाने हेतु डा0 अभय कुमार सिंह पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाये जाने से प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा जुगाड़ कर 15 शोध पत्र थोक में वर्ष 2021 में प्रकाशित करा लिया गया है जबकि विपक्षी अपने अकादमिक शोध पत्रों, उपलब्धियों के आधार पर अर्हताधारी है, जिसकी पुष्टि विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 के द्वारा परीक्षणोंपरान्त की गई है। जहॉ तक डी0लिट्0 उपाधि का सम्बन्ध है, प्रत्यावेदक डा0 पाण्डेय ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से डी0लिट0 उपाधि हेतु आवेदन किया एवं नियमानुसार नियोक्ता से अनापत्ति लिये बिना ही अपना आवेदन पत्र स्वयं अग्रसारित कर दिया। वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय शोध उपाधि समिति/आर0डी0सी0 का संयोजक नियुक्त होने के पश्चात अपने पद का दुरूपयोग करते हुए डी0लिट0 पंजीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही करा लिये जाने के कारण नियम विरूद्ध डी0लिट0 के निरस्तीकरण हेतु विश्वविद्यालय को विपक्षी द्वारा पत्र दिनांक 17.06.2022 प्रेषित किया गया है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी डा0 अभय कुमार सिंह द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण पर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 26.10.2021 व पूरक आदेश दिनांक 18.12.2021 निर्गत होने के उपरान्त दिनांक 14.04.2022 को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये

603

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

गये प्रत्यावेदन के तीन माह की समय सीमा के पश्चात प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रत्यावेदन कालातीत है। प्रत्यावेदक द्वारा विपक्षी की एपीआई संबंधी आपत्तियॉ दुर्भावना से प्रेरित व निराधार हैं जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। स्वयं प्रत्यावेदक की अध्यक्षता में गठित आई0क्यू0ए0सी0 ने भी विपक्षी की ए0पी0आई0 अपने से काफी अधिक आगणित की गयी है । प्रत्यावेदक के शोध पत्रों की अन्तर्वस्तु का परीक्षण किसी प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ से कराया जाना चाहिए । विपक्षी के अपने अकादमिक शोध पत्रों, उपलब्धियों के आधार पर अर्हताधारी होने के आधार पर विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 ने अर्हताधारक होने की पुष्टि की है । प्रत्यावेदक को शोध उपाधि समिति/आर0डी0सी0 का संयोजक वरिष्ठता के चक्रानुक्रम से बनाया गया है तथा विश्वविद्यालय अध्ययन बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्टडीज) में वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम के अनुसार प्रत्यावेदक को तीन वर्ष हेतु संयोजक बनाया गया है । विश्वविद्यालय एकेडेमिक काउन्सिल में सभी विषयों के संयोजक सदस्य होते हैं । प्रत्यावेदक प्राचार्य पद के लिए वांछित चौथी अर्हता, ए0पी0आई0 110 धारित नहीं करते हैं । विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 26.10.2021 एवं पूरक आदेश दिनांक 18.12.2021 के विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा दिनांक 14.04.2022 को प्रस्तुत किया गया प्रत्यावेदन, कालबाधित है ।

5. महाविद्यालय प्रबन्धक/सचिव का मुख्य कथन है कि विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 18.12.2021 के आलोक में डा0 अभय कुमार सिंह को दिनांक 20.12.2021 को महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया, जो अद्यतन् कार्यरत हैं । प्रत्यावेदक द्वारा विपक्षी की नियुक्ति को विधिविरुद्ध, एकपक्षीय व न्याय की अधिकारिता के बिना दुर्भावनाग्रस्त कहे जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

6. विश्वविद्यालय का मुख्य कथन है कि कुलाधिपति आदेश संख्या : ई–3584/जी.एस., दिनांक 09.06.2021 के संदर्भ में कुलपति द्वारा प्रश्नगत आदेश निर्गत किया गया है।

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

602

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

विश्वविद्यालय के आई०क्यू०ए०सी० निदेशक द्वारा प्रत्यावेदक डा० पाण्डेय की ए०पी०आई० 109 से घटाकर 85 नहीं की गयी है । यह आगणन प्रत्यावेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के परीक्षण, सम्यक् विचारोपरान्त तार्किक एवं नियमानुसार प्रत्यावेदक की ए०पी०आई० आगणित करके किया गया है। विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 26.10.2021 के अनुसार डा० पाण्डेय महाविद्यालय की वरिष्ठता सूची में प्रथम स्थान पर अंकित होने के बावजूद भी अर्हता शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (ए०पी०आई०) निर्धारित 110 से कम होने के कारण प्राचार्य हेतु अर्ह नहीं है। विपक्षी को कार्यवाहक प्राचार्य पद की अर्हता नियमानुसार धारित करने के कारण महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया है। प्रत्यावेदक एवं विपक्षी की ए०पी०आई० विश्वविद्यालय आई०क्यू०ए०सी० द्वारा यू०जी०सी० रेग्युलेशन, 2018 के अनुसार उभयपक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर आगणित की गयी है । प्रत्यावेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों से भिन्नता परिलक्षित होती है एवं दोनों पक्षों की परस्पर आपत्तियों के प्रकाश में ही ए०पी०आई० आगणन किया गया है । प्रत्यावेदक की ए०पी०आई० गणना संबंधी कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है, विपक्षी डा० अभय कुमार सिंह की ए०पी०आई० की पुर्नगणना नही की गयी है बल्कि अर्हता पूरी होने संबंधी पूरक आदेश निर्गत किया गया है एवं उन्हें सुनवाई हेतु अपना पक्ष रखने के समुचित एवं पर्याप्त अवसर अन्य पक्षकारों के बराबर प्रदान किये गये, डा० पाण्डेय के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

7. प्रत्यावेदक द्वारा अपने प्रत्युत्तर में, विपक्षी के कथनों व प्रमाणों का विशिष्टतया खण्डन नहीं करते हुए स्वयं को वरिष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि विपक्षी को कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किये जाने के पश्चात जिस ए०पी०आई० के आधार पर उसे कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया है के प्रमाणित शोध-पत्र, शोध छात्रों की संख्या, पीएच०डी० की उपाधि किस वर्ष, किस

601

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

तिथि को मिली, की प्रतियॉं विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा आज तक उसे उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। कुलाधिपति आदेश दिनांक 09.06.2021 में विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 02.01.2021 को निरस्त करते हुए कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा नीतिगत निर्णय नहीं लेने के आदेश दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए दिनांक 31.05.2022 को नीतिगत निर्णय लेते हुए प्रत्यावेदक को गलत तरीका अपनाकर अपने से कनिष्ठ कर दिया गया है। अतएव प्रत्यावेदक द्वारा नियमित प्राचार्य की नियुक्ति होने तक महाविद्यालय के न्यूनतम योग्यताधारी वरिष्ठतम शिक्षक (स्वयं) को महाविद्यालय का कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

8. स्पष्ट है कि प्रकरण महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक विहित न्यूनतम अर्हता के बिन्दु संख्या (सी) व (डी) पर उल्लिखित अर्हता का पक्षकारों द्वारा धारित किये जाने अथवा न किये जाने के साथ–साथ शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण विवाद से अन्तर्ग्रस्त है । महाविद्यालय के अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 1978 के अध्याय 15 के व अन्य सुसंगत प्रावधान अवलोकनीय हैं जो निम्नवत हैं :

11.20 जब किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय, तब प्रबन्धतंत्र किसी अध्यापक को तीन मास की अवधि के लिए या जब तक किसी नियमित प्राचार्य की नियुक्ति न हो जाय, इनमें से जो भी पहले हो, प्राचार्य के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न किया जाय या ऐसा प्राचार्य अपना पद ग्रहण न करें तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य करेगा जब तक कि कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न कर दिया जाय।'

"सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा :

15.01. (क) प्राचार्य महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ समझा जायेगा ।

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा ।

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं अध्यापकों की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के दिनांक से अनवरत सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(घ) प्रत्येक हैसियत में (उदाहरणार्थ प्राचार्य या अध्यापक के रूप में) की गयी सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति के अनुसार कार्य–भार ग्रहण करने के दिनांक से की जायेगी ।

15.02. जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायेगी :

(1) प्राचार्यों की स्थिति में प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा ।

(2) प्राध्यापकों की स्थिति में आयु की ज्येष्ठता पर विचार किया जाएगा ।

15.03. जहाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में प्राचार्य के रूप में प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ प्राचार्य के रूप की किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहाँ केवल प्राचार्य के रूप में की गयी सेवा की अवधि पर ध्यान दिया जायगा ।

15.04(1) जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किये जायें तो उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यताक्रम में, जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गयी थी, अवधारित की जायेगी ।

(2) यदि दो या अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (1) के अधीन अवधारित की गयी हो तो उसकी सूचना अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व हो तो उसकी सूचना अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी ।

15.05. अध्यापकों (प्राचार्य से भिन्न) की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा । प्राचार्य के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है । यदि कुलपति प्राचार्य से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेंगें ।

15.06. इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15.07. कुलसचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आगे आये हुए उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे ।

15.10 : सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलपति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेंगे । कुलपति के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राचार्य ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद को अपील कर सकता है । यदि कार्य परिषद कुलपति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी ।''

549

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

9. प्रत्यावेदक का मुख्य कथन है कि विपक्षी द्वारा रिफ्रेशर्स कोर्स व नियुक्ति के पश्चात पीएच0डी0 निर्धारित समयान्तर्गत नहीं की गयी है । विपक्षी द्वारा किन–किन शोध छात्रों को निर्देशित किया गया है का विवरण नहीं दिया गया है । जिन शोध–पत्रों के आधार पर विपक्षी प्राचार्य पद की अर्हता–धारक है वे अनुपलब्ध हैं । दिनांक 18.12.2021 के पूर्व के विपक्षी के अधिकांश शोध–पत्र साहित्यिक चोरी के हैं । प्रत्यावेदक के इन कथनों के विरुद्ध विपक्षी का कथन है कि विपक्षी द्वारा महाविद्यालय में दिनांक 27.07.1988 को उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण किया गया । प्रत्यावेदक की जन्मतिथि 01.01.1965 व विपक्षी की जन्मतिथि 01.10.1962 है। विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.02(2) के अनुसार दोनों की नियुक्ति तिथि एक होने पर ज्येष्ठता के आधार पर विपक्षी, प्रत्यावेदक डॉ0 पाण्डेय से वरिष्ठ है । वर्तमान में प्रभावी विनियम द्वारा प्राचार्य पद की अर्हता हेतु मानकानुसार प्रकाशित 10 शोध–पत्रों एवं ए0पी0आई0 के 110 प्राप्तांकों की पात्रता निर्धारित है । यू0जी0सी विनियम, 2018 व शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के परिशिष्ट ।।, तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक प्रत्यावेदक के पास नहीं हैं । प्रत्यावेदक महाविद्यालय के वेबसाईट पर प्रदर्शित किये गये बॉयोडाटा के मानकानुसार प्रकाशित 10 शोध पत्रों के अभाव में एवं ए0पी0आई0 69 होने के आधार पर प्राचार्य पद की निर्धारित अर्हता धारित नहीं करते है। अर्हताधारी ज्येष्ठतम प्राध्यापक को ही कार्यवाहक प्राचार्य नियुक्त किया जाना विधिसम्मत है। प्रत्यावेदक ए0पी0आई0 की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 26.09.2020 को अपेक्षित अर्हता पूरी न करने के कारण कोविड–19 का बहाना बनाकर अनुपस्थित रहे । प्रत्यावेदक द्वारा 32 वर्ष की सेवा में कुल 17 शोध पत्रों की प्रस्तुति विभिन्न संगोष्ठियों में दर्शायी गयी है। प्रत्यावेदक द्वारा सेवाकाल में

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

598

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

11 शोध पत्रों मे से मात्र 5 शोध पत्र अपने मूल विषय रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विषय की संगोष्ठियों में प्रस्तुत किये गये हैं। 04 शोध–पत्र साकेत महाविद्यालय में ही सम्पन्न समाजशास्त्र विषय की संगोष्ठी में प्रस्तुत किये गये हैं । यू0जी0सी0 नियमन, 2018 के आलोक में विपक्षी को प्राचार्य पद का अर्हताधारी महाविद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक होने के कारण प्राचार्य पद का दायित्व पुनः सौंपा गया तब से विपक्षी कार्यवाहक प्राचार्य के दायित्वों का सतत निर्वहन कर रहा है । यू0जी0सी0 विनियम, 2018 के अनुसार प्राचार्य पद की अर्हता प्रोफेसर पद की अर्हता के समान है। प्रत्यावेदक महाविद्यालय के 42 प्रोफेसर पदनामधारी प्राध्यापकों में कनिष्ठतम प्रोफेसर है । प्रत्यावेदक की 32 वर्ष की सेवाकाल में 17 शोध–पत्र तथा अगले ग्यारह माह में 15 शोधपत्र समझ से परे, बैकडेटेड, संदिग्ध व फर्जी हैं । विश्वविद्यालय में अर्हता विवाद योजित होने के समय प्रत्यावेदक के पास मात्र 03 शोध पत्र थे, जिसकी पुष्टि प्रत्यावेदक के बायोडाटा से होती है। प्रत्यावेदक द्वारा अर्हता पूरी करने के लिए हड़बड़ी एवं जल्दबाजी में धोखाधड़ी, बैकडेटिंग व टेम्परिंग का कपटपूर्ण कृत्य किया गया है । विश्वविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 द्वारा प्रत्यावेदक के संदिग्ध, बैकडेटिंग किए हुए आपत्ति कारक शोध पत्रों के सापेक्ष ए0पी0आई प्रदान नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय आई0क्यू0ए0सी0 की पुनर्आगणित ए0पी0आई विवादों के कारण निष्प्रभावी हो गई एवं महाविद्यालय द्वारा ए0पी0आई0 को पुनर्आगणित करने से मना कर दिया गया है। प्रकरण विश्वविद्यालय की वरिष्ठता समिति को प्रेषित करने को नियम संगत बताया गया तथा डा0 प्रत्यावेदक द्वारा शोध पत्रों के प्रकाशन में अपने कपटपूर्ण धोखाधड़ी के कृत्य को छिपाने हेतु डा0 अभय कुमार सिंह पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाये जाने से प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा जुगाड़ कर 15 शोध पत्र थोक में वर्ष 2021 में प्रकाशित करा लिया है जबकि विपक्षी अपने अकादमिक शोध पत्रों, उपलब्धियों के

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

आधार पर अर्हताधारी है । प्रत्यावेदक डा0 पाण्डेय ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से डी0लिट0 उपाधि हेतु आवेदन किया गया एवं अपने पद का दुरूपयोग करते हुए डी0लिट0 पंजीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही करा लिया, जिससे प्रत्यावेदक द्वारा नियम विरूद्ध डी0लिट0 के निरस्तीकरण हेतु विश्वविद्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है । इस प्रकार से प्रत्यावेदक व विपक्षी द्वारा एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाये गये हैं तथा विश्वविद्यालय वरिष्ठता समिति द्वारा उक्त वरिष्ठता विवाद का निस्तारण नहीं किया गया है ।

10. पत्रावली के अनुसार प्रत्यावेदक व विपक्षी की वरिष्ठता सम्बन्धी प्रकरण वरिष्ठता निर्धारण समिति को संदर्भित किये जाने का उल्लेख है । उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवाएं सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियम, तद्धीन निर्मित परिनियम, विनियम, परिनियमावली में समाहित यू0जी0सी0 गाइड लाइन्स/दिशा–निर्देश व समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्रावधानानुसार संचालित की जाती हैं। विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि यदि सेवा शर्तों को सेवा विधि यथा–अधिनियमों, परिनियमों व नियमों से विनियमित किया गया है तो सुसंगत नियमों के अनुसार ही उक्त सेवा प्रशासित की जानी चाहिए ।

11. विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय 15 के बाध्यकारी प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक, विपक्षी व अन्य शिक्षकों के वरिष्ठता संबंधी प्रकरण/विवाद को कुलपति द्वारा वरिष्ठता समिति गठित कर उसके समक्ष प्रस्तुत करवाकर विधि अनुसार उसका निर्धारण कराया जाना चाहिए। परिनियम 15.07 में यह प्रावधानित है कि कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

596

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे । विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में उपर्युक्त प्रकरण वरिष्ठता निर्धारण समिति को संदर्भित किये जाने का उल्लेख किया गया है । वरिष्ठता समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण अभी तक निर्णीत/निस्तारित नहीं किया गया है। प्रकरण के निस्तारण हेतु उचित वैधानिक मंच, वरिष्ठता समिति ही है । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधियों **धनन्जय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य, (2001) 4 एससीसी 9, राम चन्द्र केशव अडके बनाम गोविन्द जोशी चवारे, एआईआर 1975 एससी 915** एवं **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह, एआईआर 1964 एससी 358** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि यदि विधि द्वारा किसी भी कार्य के करने की रीति विहित की गयी है तो उसे विधि द्वारा विहित रीति से ही किया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में नहीं।

12. उल्लेखनीय है कि परिनियम 11.20 के अन्तर्गत महाविद्यालय में कार्यरत कार्यवाहक प्राचार्य की व्यवस्था एक अन्तरिम व्यवस्था है जिसे पूर्णकालिक प्राचार्य के विकल्प के रूप में नहीं प्रयुक्त किया जाना चाहिए। महाविद्यालय की अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए महाविद्यालय पूर्णकालिक प्राचार्य की व्यवस्था शीघ्र किया जाना समीचीन होगा ।

13(अ). अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत् विश्वविद्यालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.10.2021 व 18.12.2021 निरस्त कर प्रकरण कुलाधिपति स्तर से निस्तारित करते हुए, अविलम्ब वरिष्ठता समिति का गठन कर सम्बन्धित सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधिनियम, परिनियम, यू0जी0सी0 विनियम एवं सुसंगत शासनादेशों के अनुसार दो माह की समयावधि में प्रश्नगत वरिष्ठता का निस्तारण कर सम्बन्धित पक्षकारों की

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : ....

आई०क्यू०ए०सी० व ए०पी०आई० के परीक्षणोपरान्त महाविद्यालय के ज्येष्ठतम शिक्षक, जो प्राचार्य पद की भी योग्यता धारित करता हो, को महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक आदेश अविलम्ब पारित करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय के वर्तमान कार्यवाहक प्राचार्य तब तक महाविद्यालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों का सम्पादन मात्र करते रहेंगे तथा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे।

13(ब). इसके साथ ही महाविद्यालय में, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश से नियमित प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है।

ह0/-
(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, सह–आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन (सैन्य वि0), का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या ।
2. प्रो0 अभय कुमार सिंह, कार्यवाहक प्राचार्य,का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या ।
3. श्री आनन्द कुमार सिंघल,प्रबन्धक/सचिव, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या ।
4. कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या ।

(कल्पना अवस्थी)
कुलाधिपति की प्रमुख सचिव ।

17. As the aforesaid order was not being complied with then Writ A No.1179 of 2024 was filed, which was disposed of with a direction to the Vice Chancellor to decide the appeal of the applicant. The order dated 21.2.2024 passed in Writ A No.1179 (Dr. Narbadeshwar Pandey Vs. State of U.P. & Ors.) is reads as under:-

> *"1. Heard Mr. Sharad Pathak, learned counsel for petitioner, learned State Counsel for opposite party nos. 1, 4 & 5, Mr. Akhilesh Kumar Srivastava, learned counsel for opposite party nos. 2 & 3 and Mr. Rakesh Kumar Srivastava, learned counsel for opposite party nos. 6, 9 & 10. In view of order being passed, notice to opposite party nos. 7 & 8 stands dispensed with.*
>
> *2. Petition has been filed challenging order dated 19.05.2023 whereby dispute regarding seniority between petitioner and opposite party no. 7 has been relegated to the principal. Also under challenge is the order dated 07.10.2023 whereby final seniority list has been issued placing the opposite party no. 7 over and above petitioner.*
>
> *3. It has been submitted that earlier petitioner as well as opposite party no. 7 were appointed in the institute in question on 27.07.1988 on the post of Lecturers. It is submitted that in all the seniority lists subsequent thereto, petitioner has been shown senior to the opposite party no. 7 primarily on the basis of merit obtained in the selection pertaining to the said post. It is submitted that subsequently petitioner was also appointed officiating principal of the institution concerned whereafter a dispute was raised by the opposite party no. 7 and several rounds of litigation ensued including under Section 68 of the Universities Act.*
>
> *4. It is submitted that the aforesaid dispute again reached the Hon'ble Chancellor who vide order dated 17.11.2022 relegated the matter before the University for decision within a period of two months and interim arrangement was also indicated that for the aforesaid period of two months, the present officiating principal would continue to conduct day to day business of the University without taking any policy decision. Since opposite party no. 7 was*

at that time continuing as officiating principal, he continued in terms of the said order.

5. It is submitted that although a direction had been given for taking a decision within a period of two months, the Vice Chancellor thereafter by means of impugned order dated 19.05.2023 relegated the matter for decision before the officiating principal with a direction for constitution of a seniority committee for taking decision. It is submitted that the impugned order seniority list has thereafter been issued without taking into consideration submissions advanced by petitioner and while indicating petitioner to be the junior most lecturer in the college ignoring the date of his substantive appointment.

6. Learned counsel appearing on behalf of University has drawn attention to statute 15.05 on the first statutes of the University to submit that dispute regarding seniority between teachers and lecturers of the affiliated college is required to be taken by the principal of the college whereafter there is a provision for appeal before the Vice Chancellor within a period of 60 days from the date of passing of the order and petitioner can very well avail himself of the said alternative remedy.

7. Upon consideration of submissions advanced by learned counsel for parties and perusal of material on record, it is quite evident that with regard to aforesaid seniority dispute, the Vice Chancellor has already passed directions for constitution of a seniority committee in terms of the first statutes of the university whereunder, the impugned order dated 09.05.2023 has been passed by the Chancellor and in pursuance of final seniority list has also been issued which is under challenge. It is however also evident that the aforesaid steps have not been taken within period prescribed by the Chancellor.

8. Considering the fact that consequential orders have already been passed by the relevant authorities and there being an appropriate remedy for filing appeal in terms of statute 15.05 and petitioner already having availed himself of such a remedy by filing appeal, there is no occasion for this Court at this juncture to delve into the merits of the case.

9. Since it has been submitted by learned counsel for petitioner that representation has already been preferred by petitioner before the Vice Chancellor vide letter dated 12.12.2023, the same shall be treated as an appeal in

terms of statute 15.05. The opposite party no. 3 i.e. Vice Chancellor, Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya (Faizabad) is directed to consider and decide petitioner's appeal in accordance with law and statutes within a period of six weeks from the date a certified copy of this order is produced before the said authority and after affording opportunity of hearing to petitioner as well as opposite party no. 7. This time limit shall be applicable in case final orders have not already been passed from petitioner's representation.

10. It is directed that for the aforesaid period of six weeks, the current arrangement with regard to officiating principal shall continue to however oversee only day to day functioning of the college and not for taking any decision with regard to policy matter pertaining to the college in terms of the directions issued by Hon'ble Chancellor earlier.

11. The petition has also raised the following prayer as prayer no. 3:-

"(iii). Issue writ or direction in the nature of Mandamus commanding the Director of Higher Education, U.P., Prayagraj (Allahabad) to take appropriate steps and pass appropriate order so that the date of award of personal promotion of petitioner on the post of Professor under career advancement scheme may be corrected as 01.11.2021 instead of 31.05.2022, as incorrectly mentioned in order dated 14.07.2022 (copy of which is annexed as annexure No. 57)."

12. However, with regard to aforesaid since it involves multiplicity of proceeding, liberty is granted to petitioner to file a fresh petition for the said relief.

13. The aforesaid directions, petition stands disposed of. "

18. Thereafter, the appeal of the applicant was rejected on 12.8.2024 by Vice Chancellor without ensuring the compliance of the direction of the Chancellor as well as writ court. The order dated 12.8.2024 is as under:-

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)-२२४००१
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P.)-224001

प्रो0 प्रतिभा गोयल
कुलपति
Prof. Pratibha Goyal
Vice-Chancellor

vc@rmlau.ac.in
vcrmlau2015@gmail.com
www.rmlau.ac.in

पत्रांक :–507 / पी0एस0 / 2024
दिनांक : 12 अगस्त, .2024

आदेश

रिट ए सं0 1179 ऑफ 2024, डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2024 के अनुपालन में याची के अपील प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.2023 का निस्तारण –

का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, राज्य सहायता प्राप्त तथा डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से नियंत्रित/सम्बद्वता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। याची डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय उक्त महाविद्यालय में कार्यरत हैं। उनके द्वारा वरिष्ठता निर्धारण आदेश दिनांक: 17.10.2023 के विरुद्व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ, लखनऊ में उल्लिखित रिट याचिका योजित की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है –

8. "Considering the fact that the consequential orders have already been passed by the relevant authorities and there being an appropriate remedy for filling appeal in terms of Statute 15.05 and petitioner already having availed himself of such a remedy by filling appeal, there is no occasion for the court at this juncture to delve into the merits of the case.

9. Since it has been submitted by learned councel for petitioner that represntation has already been preferred by petioner before the Vice Chancellor vide letter dated 12.12.2023, the same shall be treated as an appeal in terms of Statute 15.05. The opposite party no. 3 i.e. Vice Chancellor, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (Faizabad) is directed to consider and decide petitoner's appeal in accordance with law and statutes within a period of six weeks from the date a certified copy of this order is produced before the said authority and after affording opportunity of hearing to the petitioner as well as opposite party no. 7. This time limit shall be applicable in case final orders have not already been passed from petitioner's representation.

10. It is directed that for the aforesaid period of six weeks, the current arrangement with regard to officiating principal shall continue to however oversee only day to day functioning of the college and not for taking any decision with regard to policy matter pertaining to the college in terms of the directions issued by Hon'ble Chancellor earlier."

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2024 के अनुपालन के क्रम में प्रो0 नर्बदेश्वर पाण्डेय द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.2023 जिसको मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश प्रस्तर–9 में अपील मानते हुए विश्वविद्यालय परिनियम 15.05 के अनुसार आदेश प्राप्ति के 06 सप्ताह के

मध्य निस्तारित करने के लिए आदेशित किया गया था, के माध्यम से प्रो0 नर्बदेश्वर पाण्डेय ने वर्णित तथ्यों, साक्ष्यों, अभिलेखों को दृष्टिगत रखते हुए प्रो0 अभय कुमार सिंह, आचार्य / प्राचार्य कार्यावाहक पद पर की गयी नियुक्ति एवं उनके द्वारा पारित वरिष्ठता सूची आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 को निरस्त कर डॉ0राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा / यू0 जी0 सी0 रेगुलेशन–2018 एवं याचिका सं0 5170/2022 के आलोक में डॉ नर्बदेश्वर पाण्डेय बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य के पारित आदेश को अनुपालन करने के लिए अध्यक्ष / अवैतनिक सचिव, प्रबन्ध समिति का0 सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय को आदेशित करने के सम्बन्ध में था, के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में समिति का गठन किया गया। वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 23.07.2024, 30.07.2024 एवं 02.08.2024 को की गई। आहूत सुनवाई में याची प्रो0 नर्वदेश्वर पाण्डेय एवं प्रो0 अभय कुमार सिंह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित हुए तथा अपने लिखित अभिकथन प्रस्तुत किए।

गठित समिति द्वारा परीक्षणोपरांत निम्नवत पाया गया कि "महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर दोनों पक्षकारों की नियुक्ति एक ही तिथि में हुई थी तथा सह आचार्य के पद पर दोनों एक ही साथ प्रोन्नत हुए। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि सह आचार्य के रुप में दिनांक 05.06.2022 (आचार्य पद के चयन समिति) तक डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय वरिष्ठता क्रम में डा0 अभय कुमार सिंह से वरिष्ठ थे।

उक्त प्रकरण में विवाद की स्थिति दिनांक 05.06.2022 की आचार्य पद पर प्रोन्निति स्क्रीनिंग/चयन समिति की संस्तुति से उत्पन्न हुई। स्क्रीनिंग/चयन समितिद्वारा डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की अर्हता/प्रोन्नति तिथि 31.05.2022 को संस्तुत की गई जबकि डा0 अभय कुमार सिंह की अर्हता/प्रोन्नति तिथि 01.11.2021 संस्तुत की गयी। इस प्रकार डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय से डा0 अभय कुमार सिंह वरिष्ठ हो गए एवं इसी वरिष्ठता को लेकर डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय ने कुलपति जी को वरिष्ठता सूची को निरस्त करने हेतु दिनांक 12.12.2023 को प्रत्यावेदन दिया एवं मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।

उक्त प्रकरण पर कार्यालय, शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज आज्ञा संख्याः डिग्री अर्थ–2/04/2022–23 दिनांक 05.12.2022 के आदेश के अनुसार यदि याची डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय प्रोफेसर वेतनमान हेतु दिनांक 01.11.2021 से ही अर्ह है तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्य को यह निर्देशित किया जाता है कि वह याची डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय के प्रपत्रों का पुनः परीक्षण कराते हुए स्क्रीनिंग/चयन समिति से पुनः संस्तुति सहित आवश्यक प्रपत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिसमें महाविद्यालय/स्क्रीनिंग समिति के प्रस्ताव के आधार पर उसे संशोधित किया जा सके। उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर यह सुनिश्चित नही हुआ कि उक्त आदेश का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा किया गया है।

यह भी संज्ञान में आया है कि डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की प्रोन्नति हेतु गठित स्क्रीनिंग/चयन समिति ने महाविद्यालय की आई0क्यू0ए0सी0 प्रतिवेदन पर आधारित अपनी दिनांक 05.06.2022 की संस्तुति में भी डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को आचार्य पद पर दिनांक 01.11.2021 से अर्ह न पाते हुए प्रोन्नति को निरस्त किया है। इस सन्दर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवेदन में प्रकाशित मानक शोध पत्रों की संख्या एवं आंकलन में प्रकाशित मानक शोध पत्रों की संख्या वाले दोनों कॉलमों में कोई प्रविष्टि नहीं की है। ओवरआल ग्रेडिंग एवं शोध अंक वाले कॉलम में असंतोषजनक, निरस्त की प्रविष्टि की गई है। इस सम्बन्ध में अभ्युक्ति वाले कॉलम में भी कोई प्रविष्टि नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असंतोषजनक एवं निरस्त करने के लिए कोई कारण/आधार नहीं दिया गया है, जिससे प्रोन्नति निरस्त करने का कारण स्पष्ट नहीं होता है। स्क्रीनिंग/चयन समिति द्वारा उसी तिथि (दिनांक 05.06.2022) को डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की प्रोन्नति हेतु आंकलन अवधि को 2019 से 2022 तक मानते हुए कुल प्रकाशित मानक शोधपत्रों की संख्या 21 एवं आंकलन अवधि में प्रकाशित मानक शोधपत्रों की संख्या 18 एवं ओवर आल ग्रेडिंग एवं शोध अंक के कालम में उत्तम एवं 293 दिखाया गया है।

उपरोक्त के आधार पर डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को प्रोन्नति स्क्रीनिंग/मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल 14) हेतु दिनांक 31.05.2022 से संस्तुत किया गया।

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने अपने पत्र दिनांक 14.07.2022 द्वारा डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की आचार्य (एकेडमिक लेवल 14) पर प्रोन्नति के आधार पर ए0जी0पी0 (10000) दिनांक: 31.05.2022 निर्धारित की।

यह भी संज्ञान में आया कि दोनों आचार्यों के मध्य वरिष्ठता विवाद उत्पन्न होने के बाद वरिष्ठता विवाद से सम्बन्धित जितने भी पत्राचार हुए उसमें कार्यवाहक प्राचार्य प्रो0 अभय कुमार सिंह द्वारा अपने व्यक्तिगत पक्ष के अतिरिक्त महाविद्यालय एवं प्राचार्य का पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रो0 अभय कुमार सिंह स्वयं प्रतिपक्षी एवं कार्यवाहक प्राचार्य हैं, इसलिए इस विवाद में अपना व्यक्तिगत पक्ष रख सकते हैं, किन्तु इनके द्वारा प्राचार्य एवं महाविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत करना इस प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है, जो पूर्णतया अनुचित है।

चूंकि महाविद्यालय द्वारा डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की प्रोन्नति के संबंध में कार्यालय, शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र डिग्री–अर्थ–2/04/022–23 दिनांक 05.12.2022 द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि इसका अनुपालन डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय का महाविद्यालय की वरिष्ठता सूची में सही स्थान निश्चित करने के लिए आवश्यक है। परीक्षणोपरान्त भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकरण में विसंगतियां परिलक्षित हो रही हैं, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का दायित्व है कि विसंगतियों को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 17.10.2023 को निर्गत वरिष्ठता सूची में नियमानुसार आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची निर्गत करें।"

वरिष्ठता समिति की संस्तुतियों दिनांक 02.08.2024 एवं ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में अधिनियमित व्यवस्था एवं संगत शासनादेशों का अनुशीलन किया गया। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमवली 1978 अध्याय 15 के अनुच्छेद 15.04 (1) ''जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किए जायें तो उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यता क्रम में जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई थी, अवधारित की जायेगी।''

उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि याची तथा प्रतिवादी सं0 7 (प्रो0 अभय कुमार सिंह) का चयन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नोटीफिकेशन दिनांक 19.06.1988 द्वारा व्याख्याता सैन्य विज्ञान के पद पर किया गया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा निर्गत चयन नामों की सूचीं की संस्तुति निम्नलिखित क्रम में की गई –

1. डा0 राजवीर सिंह।
2. डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय।
3. डा0 अभय कुमार सिंह।

चयनित अभ्यर्थियों में एक ही तिथि–27.07.1988 को व्याख्याता, सैन्य विज्ञान के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। परिनियमावली के नियम 15.04 (1) के अनुसार इसी कम में ज्येष्ठता का निर्धारण पूर्व में किया गया, जिसके अनुसार याची डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय प्रतिवादी सं0 7 डा0 अभय कुमार सिंह से वरिष्ठ रहे। यह स्थिति दिनांक 05.06.2022 तक विद्यमान रही।

आचार्य पद पर कैरियर एडवांस योजना के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा महाविद्यालय की आई0क्यू0ए0सी0 प्रतिवेदन के आधार पर महाविद्यालय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियां दिनांक 05. 06.2022 को प्रेषित की गई थी जिसमें डा0 अभय कुमार सिंह को प्रोफेसर पदनाम, एकेडमिक लेवल–14, वेतनमान 37400–67000, ग्रेड पे 10000 में प्रोन्नति दिनांक 01.11.2021 से तथा डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय को उक्त लाभ दिनांक 31.05.2022 से संस्तुत किए गए। उक्त संस्तुति के आधार पर महाविद्यालय द्वारा

दिनांक 17.10.2023 को संशोधित ज्येष्ठता सूची निर्गत की गई, जिसमें डा0 अभय कुमार सिंह को वरिष्ठता कम में श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय से वरिष्ठ स्थापित किया।

दोनों आचार्यों के मध्य वरिष्ठता विवाद उत्पन्न होने के बाद वरिष्ठता विवाद से सम्बन्धित जितने भी पत्राचार हुए उसमें कार्यवाहक प्राचार्य प्रो0 अभय कुमार सिंह द्वारा अपने व्यक्तिगत पक्ष के अतिरिक्त महाविद्यालय एवं प्राचार्य का पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रो0 अभय कुमार सिंह स्वयं प्रतिपक्षी एवं कार्यवाहक प्राचार्य हैं, इसलिए इस विवाद में अपना व्यक्तिगत पक्ष रख सकते हैं, किन्तु इनके द्वारा प्राचार्य एवं महाविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत करना इस प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है, जो पूर्णतया अनुचित है।

महाविद्यालय द्वारा डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय की प्रोन्नति के संबंध में कार्यालय, शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र डिग्री–अर्थ–2/04/022–23 दिनांक 05.12.2022 द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि इसका अनुपालन डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय का महाविद्यालय की वरिष्ठता सूची में सही स्थान निश्चित करने के लिए आवश्यक है। परीक्षणोपरान्त भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकरण में विसंगतियां परिलक्षित हो रही हैं, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का दायित्व है कि विसंगतियों को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 17.10.2023 को निर्गत वरिष्ठता सूची में नियमानुसार आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची निर्गत करें।

निर्णय

याची का अपील प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.2023 स्वीकार किया जाता है, तथा का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या के अधिसूचना सं0–के0 एस0–8841/2023 दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 को इस सीमा तक निरस्त किया जाता है। महाविद्यालय समस्त विसंगतियों को दूर करते हुए नियमानुसार संशोधित सूची 04 सप्ताह के मध्य डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को प्रस्तुत करे।

रिट ए सं0 1179 ऑफ 2024, डा0 नर्वदेश्वर पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2024 के अनुपालन में याची का अपील प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.2023 एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।

कुलपति

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक/सचिव, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
2. प्राचार्य, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
3. प्रो0 नर्वदेश्वर पाण्डेय, रक्षा एवं स्त्रतेजिक अध्ययन विभाग, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
4. प्रो0 अभय कुमार सिंह, रक्षा एवं स्त्रतेजिक अध्ययन विभाग, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
5. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ
6. पत्रावली

कुलसचिव

19. Affidavit of compliance filed by the respondent was rejected by this Court on 12.8.2024 with liberty to file a fresh affidavit of compliance, as a result, again on 24.8.2024, following order was passed by the Vice Chancellor :-

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)-२२४००१
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P.)-224001

प्रो0 प्रतिभा गोयल
कुलपति
Prof. Pratibha Goyal
Vice-Chancellor

vc@rmlau.ac.in
vcrmlau2015@gmail.com
www.rmlau.ac.in

पत्रांक: 531/पीएस/2024
दिनांक: 24.08.2024

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या रिट ए सं0 1179 ऑफ 2024, में पारित आदेश दिनांक: 21.01.2024 तथा सी0ए0पी0एल0 (सिविल) न0 2315 ऑफ 2024 में दिनांक: 12.08.2024 के अनुपालन में याची प्रो0 नर्बदेश्वर पाण्डेय के अपील प्रत्यावेदन दिनांक: 12.12.2023 का निस्तारण –

का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या, राज्य सहायता प्राप्त तथा डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से नियंत्रित/सम्बद्वता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। याची डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय उक्त महाविद्यालय में कार्यरत हैं। उनके द्वारा वरिष्ठता निर्धारण आदेश दिनांक: 17.10.2023 के विरुद्व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पीठ, लखनऊ में याचिका संख्या रिट ए नं0 1179 ऑफ 2024 योजित की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक: 21.02.2024 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है –

8. "Considering the fact that the consequential orders have already been passed by the relevant authorities and there being an appropriate remedy for filling appeal in terms of Statute 15.05 and petitioner already having availed himself of such a remedy by filling appeal, there is no occasion for the court at this juncture to delve into the merits of the case.

9. Since it has been submitted by learned counsel for petitioner that representation has already been preferred by petitioner before the Vice Chancellor vide letter dated 12.12.2023, the same shall be treated as an appeal in terms of Statute 15.05. The opposite party no. 3 i.e. Vice Chancellor, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (Faizabad) is directed to consider and decide petitioner's appeal in accordance with law and statutes within a period of six weeks from the date a certified copy of this order is produced before the said authority and after affording opportunity of hearing to the petitioner as well as opposite party no. 7. This time limit shall be applicable in case final orders have not already been passed from petitioner's representation.

10. It is directed that for the aforesaid period of six weeks, the current arrangement with regard to officiating principal shall continue to however oversee only day to day functioning of the college and not for taking any decision with regard to policy matter pertaining to the college in terms of the directions issued by Hon'ble Chancellor earlier."

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2024 के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वरिष्ठता निर्धारण समिति का गठन किया गया। वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 23.07.2024, 30.07.2024 एवं 02.08.2024 को की गई। आहूत सुनवाई में याची डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय एवं प्रो0 अभय कुमार सिंह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित हुए तथा अपने लिखित अभिकथन प्रस्तुत किए।

24.8.24

गठित समिति द्वारा परीक्षणोपरांत निम्नवत पाया गया कि "महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर दोनों पक्षकारों की नियुक्ति एक ही तिथि में हुई थी तथा सह आचार्य के पद पर दोनों एक ही साथ प्रोन्नत हुए। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि सह आचार्य के रुप में दिनांक 05.06.2022 (आचार्य पद के चयन समिति) तक डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय वरिष्ठता क्रम में डा0 अभय कुमार सिंह से वरिष्ठ थे।

उक्त प्रकरण में विवाद की स्थिति दिनांक 05.06.2022 की आचार्य पद पर प्रोन्निति स्क्रीनिंग/चयन समिति की संस्तुति से उत्पन्न हुई। स्क्रीनिंग/चयन समितिद्वारा डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय की अर्हता/प्रोन्नति तिथि 31.05.2022 को संस्तुत की गई जबकि डा0 अभय कुमार सिंह की अर्हता/प्रोन्नति तिथि 01.11.2021 संस्तुत की गयी। इस प्रकार डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय से डा0 अभय कुमार सिंह वरिष्ठ हो गए एवं इसी वरिष्ठता को लेकर डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय ने कुलपति जी को वरिष्ठता सूची को निरस्त करने हेतु दिनांक 12.12.2023 को प्रत्यावेदन दिया एवं मा0 उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।

उक्त प्रकरण पर कार्यालय, शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज आज्ञा संख्याः डिग्री अर्थ–2/04/2022–23 दिनांक 05.12.2022 के आदेश के अनुसार यदि याची डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय प्रोफेसर वेतनमान हेतु दिनांक 01.11.2021 से ही अर्ह है तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्य को यह निर्देशित किया जाता है कि वह याची डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय के प्रपत्रों का पुनः परीक्षण कराते हुए स्क्रीनिंग/चयन समिति से पुनः संस्तुति सहित आवश्यक प्रपत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिसमें महाविद्यालय/स्क्रीनिंग समिति के प्रस्ताव के आधार पर उसे संशोधित किया जा सके। उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर यह सुनिश्चित नहीं हुआ कि उक्त आदेश का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा किया गया है।

यह भी संज्ञान में आया है कि डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय की प्रोन्नति हेतु गठित स्क्रीनिंग/चयन समिति ने महाविद्यालय की आई0क्यू0ए0सी0 प्रतिवेदन पर आधारित अपनी दिनांक 05.06.2022 की संस्तुति में डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय को आचार्य पद पर दिनांक 01.11.2021 से अर्ह न पाते हुए प्रोन्नति को निरस्त किया है। इस सन्दर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवेदन में प्रकाशित मानक शोध पत्रों की संख्या एवं आंकलन में प्रकाशित मानक शोध पत्रों की संख्या वाले दोनों कॉलमों में कोई प्रविष्टि नहीं की है। ओवरआल ग्रेडिंग एवं शोध अंक वाले कॉलम में असंतोषजनक, निरस्त की प्रविष्टि की गई है। इस सम्बन्ध में अभ्युक्ति वाले कॉलम में भी कोई प्रविष्टि नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असंतोषजनक एवं निरस्त करने के लिए कोई कारण/आधार नहीं दिया गया है, जिससे प्रोन्नति निरस्त करने का कारण स्पष्ट नहीं होता है। स्क्रीनिंग/चयन समिति द्वारा उसी तिथि (दिनांक 05.06.2022) को डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय की प्रोन्नति हेतु आंकलन अवधि को 2019 से 2022 तक मानते हुए कुल प्रकाशित मानक शोधपत्रों की संख्या 21 एवं आंकलन अवधि में प्रकाशित मानक शोधपत्रों की संख्या 18 एवं ओवर आल ग्रेडिंग एवं शोध अंक के कालम में उत्तम एवं 293 दिखाया गया है।

उपरोक्त के आधार पर डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय को प्रोन्नति स्क्रीनिंग/मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल 14) हेतु दिनांक 31.05.2022 से संस्तुत किया गया।

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने अपने पत्र दिनांक 14.07.2022 द्वारा डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय की आचार्य (एकेडमिक लेवल 14) पर प्रोन्नति के आधार पर ए0जी0पी0 (10000) दिनांक 31.05.2022 निर्धारित की।

यह भी संज्ञान में आया कि दोनों आचार्यों के मध्य वरिष्ठता विवाद उत्पन्न होने के बाद वरिष्ठता विवाद से सम्बन्धित जितने भी पत्राचार हुए उसमें कार्यवाहक प्राचार्य प्रो0 अभय कुमार सिंह द्वारा अपने व्यक्तिगत पक्ष के अतिरिक्त महाविद्यालय एवं प्राचार्य का पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रो0 अभय कुमार सिंह स्वयं प्रतिपक्षी एवं कार्यवाहक प्राचार्य हैं, इसलिए इस विवाद में अपना व्यक्तिगत पक्ष रख सकते हैं, किन्तु इनके द्वारा प्राचार्य एवं महाविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत करना इस प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है, जो पूर्णतया अनुचित है।

चूंकि महाविद्यालय द्वारा डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय की प्रोन्नति के संबंध में कार्यालय, शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र डिग्री–अर्थ–2/04/022–23 दिनांक 05.12.2022 द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि इसका अनुपालन डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय का महाविद्यालय

24.8.24

24/8/24

की वरिष्ठता सूची में सही स्थान निश्चित करने के लिए आवश्यक है। परीक्षणोपरान्त भी संज्ञान में आया है कि इस प्रकरण में विसंगतियां परिलक्षित हो रही हैं, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का दायित्व है कि विसंगतियों को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 17.10.2023 को निर्गत वरिष्ठता सूची में नियमानुसार आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करते हुए संशोधित वरिष्ठता सूची निर्गत करें।"

वरिष्ठता समिति की संस्तुतियों दिनांक 02.08.2024 एवं ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में अधिनियमित व्यवस्था एवं संगत शासनादेशों का अनुशीलन किया गया। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमवली 1978 अध्याय 15 के अनुच्छेद 15.04 (1) "जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किए जायें तो उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यता कम में जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई थी, अवधारित की जायेगी।"

उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि याची तथा प्रतिवादी सं0 7 (प्रो0 अभय कुमार सिंह) का चयन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के नोटीफिकेशन दिनांक 19.06.1988 द्वारा व्याख्याता सैन्य विज्ञान के पद पर किया गया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा निर्गत चयन नामों की सूचीं की संस्तुति निम्नलिखित क्रम में की गई –

1. डा0 राजवीर सिंह।
2. डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय।
3. डा0 अभय कुमार सिंह।

चयनित अभ्यर्थियों ने एक ही तिथि–27.07.1988 को व्याख्याता, सैन्य विज्ञान के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। परिनियमावली के नियम 15.04 (1) के अनुसार इसी क्रम में ज्येष्ठता का निर्धारण पूर्व में किया गया, जिसके अनुसार याची डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय प्रतिवादी सं0 7 डा0 अभय कुमार सिंह से वरिष्ठ रहे। यह स्थिति दिनांक 05.06.2022 तक विद्यमान रही।

आचार्य पद पर कैरियर एडवांस योजना के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा महाविद्यालय की आई0क्यू0ए0सी0 प्रतिवेदन के आधार पर महाविद्यालय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियां दिनांक 05.06.2022 को प्रेषित की गई थी जिसमें ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर डा0 अभय कुमार सिंह को प्रोफेसर पदनाम, एकेडमिक लेवल–14, वेतनमान 37400–67000, ग्रेड पे 10000 में प्रोन्नति दिनांक 01.11.2021 से तथा डा0 नर्बदेश्वर पाण्डेय को उक्त लाभ दिनांक 31.05.2022 से संस्तुत किए गए। उक्त संस्तुति के आधार पर महाविद्यालय द्वारा दिनांक 17.10.2023 को संशोधित ज्येष्ठता सूची निर्गत की गई, जिसमें डा0 अभय कुमार सिंह को वरिष्ठता कम में श्री नर्बदेश्वर पाण्डेय से वरिष्ठ स्थापित किया।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित CONTEMPT APPILICATION (CIVIL) NO. 2315 OF 2024 में दिनांक: 12.08.2024 को पारित आदेश का अंश निम्नवत है–

2. As it is evident from the order passed by the Writ Court that there was a direction to the Vice- Chancellor concerned to decide the appeal on merit but in place of deciding the appeal, the same has been remanded back to the competent authority, therefore, the order dated 12.08.2024 passed by the respondent no.1 is not in consonance with the direction of Writ Court. Accordingly, the affidavit of compliance filed today is hereby rejected.

3. List this case on 28.08.2024 at 11:30 AM.

4. On the next date, complete record related to the decision of respondent no.1 be placed before this Court.

5. In the meantime, respondent no.1 is directed to revisit her order dated 12.08.2024 and pass a fresh order in pursuance of the direction of Writ Court, failing which, she shall appear in person before this Court on the next date.

Order Date :- 12.8.2024

24.8.24

उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय स्तर पर ए०पी०आई० गणना हेतु समिति गठित की गयी, जिसमे दोनो पक्षकारों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिए गए निर्देशानुसार समस्त प्रपत्रों को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया साथ ही समन्वयक आई०क्यू०ए०सी० सेल का०सु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या से भी आचार्य पद पर कैरियर एडवांस योजना को अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग समिति के सम्मुख उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के साथ उपस्थित होन को कहा गया।

भारत का राजपत्र भाग III खण्ड 4, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018 दिनांकः 18 जुलाई 20218 के खण्ड IV के अनुसार–

IV. Associate Professor (Academic Lavel 13A) to Professor (Academic Level 14)

Eligibility:

1- Associate Professors who have completed three years of service in Academic Level 13A.
2- A Ph.D. degree in subject relevant/allied/relevant discipline.
3- A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC listed journals out of which three research papers shall be published during the assessment period.
4- A minimum of Research Score as per Appendix II, Table 2

CAS Promotion Criteria:

A teacher shall be promoted if,

i) The teacher gets 'satisfactory' or 'good' grade in the annual performance assessment reports of at least two of the last three years of the assessment period, as per Appendix II, Table I and at least 110 research score as per Appendix II, Table 2.

ii) The promotion to the post of Professor is recommended by selection committee constituted in accordance with these Regulations.

दिनांकः 21.08.2024 को समिति ने उभय पक्षों के ए०पी०आई० की गणना, आचार्य पद पर देयता तिथि 01.11.2021 तक के प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर की, जिसमें प्रो० अभय कुमार सिंह की ए०पी०आई० गणना 294 (दो सौ चौरान्वे) तथा प्रो० नर्बदेश्वर पाण्डेय की ए०पी०आई० गणना 245 (दो सौ पैंतालीस) प्राप्त हुई।

इसके पूर्व दिनांकः 12.11.2020 तथा 26.10.2021 को विश्वविद्यालय स्तर पर गठित ए०पी०आई० गणना समिति नें भारत का राजपत्र असाधारण भाग–।।। खण्ड 4 के टेबिल । के अनुसार प्रो० नर्बदेश्वर पाण्डेय की ए०पी०आई० क्रमशः 109.00 तथा 85.00 थी। दिनांकः 21.08.2024 को ए०पी०आई० गणना समिति ने भारत का राजपत्र असाधारण भाग–।।। खण्ड 4 टेबिल 2 के अनुसार इनकी ए०पी०आई० को 245 (दो सौ पैतालीस) गणना किया। इस तरह प्रो० नर्बदेश्वर पाण्डेय और प्रो० अभय कुमार सिंह दोनो ही देयता तिथि दिनांकः 01.11.2021 से आचार्य पद की अर्हता पूर्ण करते है।

वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली 1978 अध्याय 15 सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं अध्यापकों की ज्येष्ठता के अनुच्छेद 15.04 (1) **"जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में या एक ही विषय के लिए अध्यापक नियुक्त किए जांय तो उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यताक्रम में, जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गयी थी, अवधारित की जाएगी।"** अनुच्छेद 15.08 (ख) **"एक ही संवर्ग में, किसी अध्यापक की ज्येष्ठता उस संवर्ग में, मौलिक रूप में उसकी अनवरत सेवाकाल के अनुसार अवधारित की जाएगी"**, के अनुसार उभयपक्ष की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति तिथि के अनुसार मानी जाएगी।

24.8.24

24/8/24

निर्णय

याची का अपील प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.2023 स्वीकार किया जाता है, तथा का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या के अधिसूचना सं0–के0एस0–8841/2023 दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 को इस सीमा तक निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के अनुसार मानी जायेगी।

अतः प्रो0 नर्बदेश्वर पाण्डेय, प्रो0 अभय कुमार सिंह से ज्येष्ठ घोषित किये जाते हैं। प्राचार्य, का0सु0 साकेत पी0जी0 कालेज, अयोध्या को निर्देशित किया जाता है कि शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, प्रयागराज से प्रो0 नर्बदेश्वर पाण्डेय के आचार्य पद व वरिष्ठता सम्बन्धी विंसगतियों को दूर करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करें।

रिट ए संख्या 1179 ऑफ 2024, डॉ0 नर्बदेश्वर पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 21.02.2024 एवं सी0ए0पी0एल0 (सिविल) 2315 ऑफ 2024 में पारित आदेश दिनांकः 12.08.2024 के अनुपालन में याची की अपील प्रत्यावेदन दिनांकः 12.012.2023 एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

कुलपति

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), प्रयागराज, उ0प्र0
2. अध्यक्ष/अवैतनिक सचिव, प्रबन्ध समिति का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
3. प्राचार्य, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
4. प्रो0 नर्बदेश्वर पाण्डेय, रक्षा एवं स्त्रतेजिक अध्ययन विभाग का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
5. प्रो0 अभय कुमार सिंह, रक्षा एवं स्त्रतेजिक अध्ययन विभाग, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
6. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ
7. पत्रावली

कुलसचिव

20. By the aforesaid order, seniority of the applicant was restored as it was earlier since 1994 upto 2020 but rest of the issues were not decided and ordered for approaching to the Director, Higher Education Services Commission for deciding the same.

21. List this case on 01.10.2024 at 11:30 A.M.

22. Respondent no.1 is directed to appear before this Court on the next date for framing of charge.

23. Original record be return to Sri Akhilesh Srivastava, counsel for the respondent.

Order Date :- 23 September, 2024
Gaurav/-

Digitally signed by :-
GAURAV PAL
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench